पंचम माला, खंड 9, अंक 16 शनिवार, 4 दिसम्बर, 1971/13 अग्रहायण, 1893 (शक)

Fifth Series, Vol. IX, No. 16 Saturday, December 4, 1971/Agrahayana 13, 1893 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 5th
# LOK SABHA DEBATES

[ तीसरा सत्र / Third Session ]

[ खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. IX contains Nos. 11 to 20 ]

**लोक-सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**LOK SABHA SECRETARIAT**

**NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

*Price* : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

16LSS/71—1.

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16—शनिवार, 4 दिसम्बर, 1971/13 अग्रहायण, 1893 (शक)

**No. 16,—Saturday, December 4, 1971/Agrahayana 13, 1893 (Saka)**


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| पाकिस्तानी आक्रमण के बारे में वक्तव्य | Statement *Re.* Attack by Pakistan | 1—2 |
| श्रीमती इन्दिरा गांधी | Shrimati Indira Gandhi . . . | 1 |
| आपात की उद्घोषणा के बारे में संकल्प—स्वीकृत | Resolution *Re.* Proclamation of Emergency—Adopted . . . . | — 2—7 |
| श्रीमती इंदिरा गांधी | Shrimati Indira Gandhi . . | 2 |
| श्री ए०के० गोपालन | Shri A. K. Gopalan . | 3 |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | Shri Indrajit Gupta . . | 3 |
| श्री सेझियान | Shri Sezhiyan . . . . | 3 |
| श्री अटल बिहारी बाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee . . | 4 |
| श्री श्यामनन्दन मिश्र | Shri Shyamanandan Mishra . | 4 |
| श्री फ्रैंक एन्थनी | Shri Frank Anthony . . . | 4 |
| श्री पी०के० देव | Shri P. K. Deo . . . . | 4 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha . . . . | 5 |
| श्री इब्राहीम सुलेमान सेट | Shri Ebrahim Sulaiman Sait . . | 5 |
| श्री एस०ए० शमीम | Shri S. A. Shamim . . . | 5 |
| श्री त्रिदिव चौधरी | Shri Tridib Chaudhuri . . . | 5 |
| डा० कर्णी सिंह | Dr. Karni Singh . . . . | 6 |
| श्री वी० के० कृष्ण मेनन | Shri V. K. Krishna Menon . . | 6 |
| श्री एम० सत्यनारायण राव | Shri M. Satyanarayan Rao . . | 6 |
| श्री वीरेन्द्र सिंह राव | Shri Birendra Singh Rao . . | 6 |
| श्री सुरेन्द्र महन्ती | Shri Surendra Mohanty . . . | 7 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee. . . . | 7 |
| भारत रक्षा विधेयक–पुरःस्थापित | DEFENCE OF INDIA BILL—Introduced | |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider . . . . | 7—16 |
| श्रीमती इन्दिरा गांधी | Shrimati Indira Gandhi . . . | 7 |
| श्री ए० के० गोपालन | Shri A.K. Gopalan . . . | 8 |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | Shri Indrajit Gupta . . . | 9 |
| श्री अटल बिहारी बाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee | 11 |
| श्री श्यामनन्दन मिश्र | Shri Shyamnandan Mishra | 11 |
| डा० कर्णी सिंह | Dr. Karni Singh . | 11 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| श्री इब्राहीम सुलेमान सेट | Shri Ebrahim Sulaiman Sait | 12 |
| श्री पी०के० देव | Shri P. K. Deo . . . | 12 |
| श्री सी०टी० दंडपाणि | Shri C. T. Dhandapani . . | 12 |
| प्रो० मधु दंडवते | Prof. Madhu Dandavate . | 13 |
| श्री सुरेन्द्र महन्ती | Shri Surendra Mohanty . . . | 14 |
| श्री कृष्ण चन्द्र पन्त | Shri K. C. Pant | 14 |
| खंड 2 से 40 और 1 | Caluses 2 to 40 and 1 | |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to Pass . | 16—24 |
| श्री ए०के० गोपालन | Shri A. K. Gopalan . | 22 |
| श्री पीलू मोदी | Shri Piloo Mody . | 22 |
| श्री एच० एन० मुकर्जी | Shri H. N. Mukerjee . | 22 |
| श्री वी० के० कृष्ण मेनन | Shri V. K. Krishna Menon . . | 23 |
| श्री ज्योतिमय बसु | Shri Jyotirmoy Bosu . | 23 |
| श्री कृष्ण चन्द्र पन्त | Shri K. C. Pant . . . . | 24 |
| जयंती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक | Jayanti Shipping Company (Acquisition of Shares) Bill . . . | 24—28 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider . | 24 |
| श्री झारखंडे राय | Shri Jharkhande Rai | 24 |
| श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे | Shri N. K. P. Salve . | 25 |
| श्री राज बहादुर | Shri Raj Bahadur . | 26 |
| खंड 2 से 18 और 1 | Clauses 2 to 18 and 1 | |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to Pass . . | 28 |
| गुजरात राज्य के संबंध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत | Statutory Resolution *Re.* Proclamation in Relation to the State of Gujarat—Adopted . . . . . | 28—31 |
| श्री एफ०एच० मोहसिन | Shri F. H. Mohsin . . . | 28 |
| श्री के०एस० चावड़ा | Shri K. S. Chavda . . | 29 |
| श्री फूल चन्द वर्मा | Shri Phool Chand Verma | 29 |
| श्री सरजू पाण्डेय | Shri Sarjoo Pandey | 30 |
| डा० जीवराज मेहता | Dr. Jivraj Mehta | 30 |
| श्री राम सहाय पांडे | Shri R.S. Pandey | 30 |
| पंजाब राज्य के संबंध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत | Staturory Resolution *Re.* Proclamation in Relation to the State of Punjab—adopted . . . . . | 31—35 |
| श्री एफ० एच० मोहसिन | Shri F. H. Mohsin . | 31 |
| श्री दरबारा सिंह | Shri Darbara Singh | 32 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri . | 32 |
| श्री अमरनाथ विद्यालंकार | Shri Amarnath Vidyalankar | 33 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| श्री मुहम्मद इस्माइल | Shri Mohammed Ismail . . | 33 |
| श्री सतपाल कपूर | Shri Satpal Kapur . . . | 34 |
| पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में उद्घोषणा के बारे में संविधिक संकल्प | Statutory Resolution *Re.* Proclamation in Relation to the State of West Bengal . . . . . | 36—38 |
| श्री एफ०एच० मोहसिन | Shri F.H. Mohsin . . . . | 36 |
| श्री दीनेन भट्टाचार्य | Shri Dinen Bhattacharya . . | 36 |
| सभा के समय के बारे में घोषणा | Announcement *Re.* Timings of the House . . . . . | 37 |
| पाकिस्तान द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण संबंधी स्थिति पर वक्तव्य | Statement on the situation *Re.* Pakistan Attack on India | 37 |
| श्री जगजीवन राम | Shri Jagjivan Ram . | 37 |

**लोक-सभा**

LOK SABHA

शनिवार, 4 दिसम्बर, 1971 / 13 अग्रहायण, 1893 (शक)

*Saturday, December* 4, 1971 / *Agrahayana* 13, 1893 (*Saka*)

**लोक-सभा* ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.*

## [अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

**[Mr. Speaker in the chair]**

## पाकिस्तानी आक्रमण के बारे में वक्तव्य

**Statement Re. Attack by Pakistan**

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):** आज प्रातः प्राप्त हुए समाचार के अनुसार पश्चिम पाकिस्तान सरकार ने हमारे विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया है । कल शाम पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया गया तथा हमारे कई हवाई अड्डों पर आक्रमण किया गया । इसके साथ साथ उनकी थल सेना द्वारा पश्चिमी सीमा पर हमारे ठिकानों पर गोलाबारी की गई । उन के प्रचार माध्यम ने बिल्कुल निराधार आरोप लगाया है कि भारत ने उन पर आक्रमण कर दिया है ।

कलकत्ता से लौट कर मैंने अपने सहयोगियों से तथा विपक्ष के नेताओं से विचार विमर्श किया हम सब के विचार समान हैं। हम सब कृतसंकल्प हैं कि राष्ट्र की स्वतन्त्रता की रक्षा की जाये तथा हमलावर को मार भगाया जाये । मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले कठिन समय में हमारी एकता बनी रहेगी । आपात की उद्घोषणा कर दी गई है । आपात की उद्घोषणा के बारे में भारत के राजपत्र में 3 दिसम्बर, 1971 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1789 की एक प्रति मैं सभा-पटल पर रखती हूं [ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल०टी० 1219/71]

हमें दुख है कि पाकिस्तान अपनी मूर्खता से बाज नहीं आया तथा हमें इस बात का दुःख है, कि इस समय जबकि इस महाद्वीप की सब से बड़ी जरूरत विकास करना है, उस ने भारत और पाकिस्तान

---

*लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियम के नियम 15 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि लोक-सभा, जिसे सोमवार, 6 दिसम्बर, 1971 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित किया गया था, शनिवार, 4 दिसम्बर, 1971 को 11 बजे समवेत होगी।

Under Rule 15 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the Speaker directed that Lok Sabha which had been adjourned till 11 A.M. on Monday, the 6th December, 1971 would meet at 11 A.M. on Saturday, the 4th December, 1971.

की जनता को युद्ध में धकेल दिया है। हम अच्छे पड़ोसियों के रूप में रह सकते थे, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के लोगों को अपने भाग्य के बारे में कुछ कहने का अधिकार कभी नहीं मिला । इस संकट काल में हमारी प्रबल भावना विश्वास और भरोसे की है ।

पश्चिमी पाकिस्तानी सेना इसलिए क्रोधित हो उठी है, कि बंगला देश के लोगों ने उन मूल्यों का, जिन्हें सेना समझने में असमर्थ है, और जिन्हें उसने पाकिस्तान के प्रत्येक प्रदेश में कुचला है. समर्थन किया और उनके लिए संघर्ष किया । जैसे ही मुक्ति वाहिनी का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे ही पश्चिमी पाकिस्तानी सेना निराश होती गई । यह हमारी परम्परा रही है कि हम अत्याचारियों का नहीं, अपितु आक्रान्ताओं का समर्थन करें और इसलिए इस क्रोध की दशा हमारी ओर मोड़ दी गई है ।

पश्चिम पाकिस्तान ने अपने बंगला देश पर किये आक्रमण का विस्तार भारत पर पूर्ण युद्ध के रूप में कर दिया है । पश्चिम पाकिस्तान का सैनिक शासन साम्प्रदायिक अशान्ति और आन्तरिक गड़-बड़ को प्रेरित करने की आशा में संदेह और अफवाह फैलाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा उनके इरादों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए । हमें अपनी एकता और ऊंचे लक्ष्यों की भावना बनाये रखनी है ।

हमें लम्बे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए । उच्च उत्पादन चाहे यह कृषि क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो, वह ऐसी बुनियाद है, जिस पर रक्षा का आधार है । किसान, श्रमिक, टैक्नी-शियन और व्यापारी के समर्पण द्वारा जवान के साहस और लड़ाई की क्षमता का समर्थन करना होगा।

व्यापारी समुदाय की जमाखोरी करने अथवा उच्च लाभ प्राप्त करने के अपने प्रलोभन से दूर रहने की एक विशेष जिम्मेदारी है । अपने आदर्शों की रक्षा करने और अपना मनोबल ऊंचा रखने के लिए राष्ट्र कलाकारों, लेखकों, अध्यापकों और छात्रों की ओर देख रहा है । मैंने अपने देश की नारियों को प्रत्येक संभव अन्न के दाने और रुपये को बचाने और बेकार जाने से रोकने की विशेष अपील की है । हम से प्रत्येक के बलिदान से राष्ट्र की ताकत का निर्माण होगा और यह शक्ति सदैव बनी रहेगी।

हम शांति के उपासक हैं और इसी शांति की रक्षा हमने करनी है । आज हम अपनी प्रादेशिक अखण्डता और राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ रहे हैं । इसके अतिरिक्त, जिन आदर्शों को हमने संजोये रखा है, उनके लिए और शान्ति के लिए हम युद्ध कर रहे हैं ।

## आपात की उद्घोषणा के बारे में संकल्प—स्वीकृत

### Resolution Re. Proclamation of Emergency—Adopted

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 3 दिसम्बर, 1971 को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 3 दिसम्बर, 1971 को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

**श्री ए० के० गोपालन** (पालघाट): बंगला देश की जनता के स्वतन्त्रता संग्राम का भारत ने जो समर्थन किया है उसके कारण पाकिस्तान की सैनिक जुन्ता ने इस देश से पूर्णरूपेण युद्ध शुरू कर दिया है। हमारे दल ने सदैव यह कहा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर समस्त राष्ट्र उस सैनिक जुन्ता के आक्रमण को परास्त करने के लिए एक होकर उसका सामना करेगा। भारत सरकार को सभी संकोच समाप्त करने चाहिये और सभी दबावों का प्रतिरोध करना चाहिए तथा बंगला देश को तुरन्त मान्यता दे देनी चाहिए क्योंकि हम बंगला देश के लिये लड़ रहे हैं।

जहां तक आपात की घोषणा का संबंध है, हमारी राय यह है कि समूचा देश सरकार के साथ है, अतः आपात की औपचारिक घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बंगला देश की स्वतन्त्रता के लिये पाकिस्तान का मुकाबला करने का समर्थन करते हैं। साथ ही मैं यह भी आगाह करना चाहता हूं कि हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना चाहिए जोकि साम्प्रदायिक भावनाओं को उभाड़ने का प्रयत्न करें :

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : हमारे देश पर पाकिस्तान ने क्रूर और असैद्धान्तिक आक्रमण किया है। इस संकट की घड़ी में अपनी प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के लिये हम राष्ट्र पर आये इस बड़े संकट के समय सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देने का वचन देते हैं।

गत रात्रि से हमारी सशस्त्र सेनाओं पर एक महान और ऐतिहासिक उत्तरदायित्व आ पड़ा है। कल रात से बंगला देश की पीड़ित जनता प्रतिकारी न्याय की तलवार को संभालने के लिये हमारी ओर देख रही है। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हमें इस तलवार को उनकी ओर से संभालना चाहिये। इसके अतिरिक्त सरकार को यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम किसी प्रादेशिक विवर्धन की आकांक्षा से पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर रहे हैं और न ही पाकिस्तान के साथ हमारा कोई झगड़ा है। सरकार को विश्व के समक्ष बिना समय खोये स्पष्ट शब्दों में यह घोषित कर देना चाहिए कि हमारे युद्ध का उद्देश्य क्या है ताकि सांप्रदायिक शक्तियां उभर न सकें। पाकिस्तान की जनता के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है ; हमारा झगड़ा वहां की सैनिक जुन्ता से है।

समय आ गया है जब हमें बंगला देश और वहां की सरकार को पूर्ण मान्यता दे देनी चाहिये।

हमारी भावनाएं आज हमारी सशस्त्र सेना के वीर जवानों के साथ हैं। साथ ही मुक्ति वाहिनी के उन वीरों के साथ है जिन्होंने गत आठ मास में ऐतिहासिक प्रतिरोध किया है। देश की सुरक्षा का तकाज़ा है कि देश में बन्द पड़ी 3000 फैक्टरियां फिर से चालू की जायें। जमाखोरों और चोर बाज़ारियों से भी लोगों की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है।

हम आज ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं और यह नहीं कहा जाना चाहिये कि हमें इस बार भी सफलता नहीं मिली। किन्तु साथ ही हमें अपने महान देश की शान्ति-प्रिय परम्पराओं को भी निभाना है। हम किसी अन्य देश की भूमि पर अधिकार नहीं करना चाहते।

**श्री सेझियान** (कुम्भकोणम) : मैं द्राविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओर से उद्घोषणा का समर्थन करता हूं और सरकार को पूरी तरह सहयोग देने का वचन देता हूं। हम युद्ध नहीं चाहते किन्तु हम पर युद्ध थोपा गया है और ऐसी स्थिति में हम अपने लोकतन्त्र और प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के लिए इस चुनौती को स्वीकार करेंगे।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : Pakistan has forced a war on us. She has challenged our territorial integrity to divert the attention of the world from the continuous successes of Mukti Bahini and to internationalise the issue. This challenge has afforded us a great opportunity and there is no doubt that not only would we be able to defend our borders but would teach a good lesson to the military rulers of Pakistan.

Today we should not think in terms of separate political parties. The entire country is one. Forgetting our petty differences we have to march ahead unitedly on our path to victory.

We have to appeal to the patriotism of the people that all may do their duty to the best of their capacity. We would not allow any disturbances or communal tension to be created.

The Prime Minister has come forward to provide leadership to the nation at this juncture. It is cherished desire that we may come out victorious and create new history under the leadership of the Prime Minister.

We should plan to get support of all in our defence efforts.

The House should support the Emergency declared by the President and also the future steps to safeguard our national security. The whole country stands as one man to face the challenge.

**श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय)** इस आक्रमण के मुकाबले के लिए सारा राष्ट्र एक है । आज हमारे परस्पर कोई मतभेद नहीं हैं। आज राष्ट्र के सम्मुख एक ही कार्य है और वह कार्य है कारगर रूप से आक्रमक की चुनौती का सामना करना । इसका एक ही उपाय है कि एक ही नेता के अधीन पूर्ण और अखंड एकता का निर्माण हो ।

यदि याह्या खां यह सोचते हैं कि वे सेना के जनरल रह हैं और हमारी प्रधान मंत्री जनरल नहीं रही है तो वह भूल में हैं ।

हम गांधी जी की शान्तिपूर्ण परम्पराओं में विकसित हुए हैं । हमने कभी भी आक्रामक की भूमिका अदा नहीं की है । हम चौथी बार पाकिस्तान के आक्रमण का शिकार हुए हैं । भारत ने पिछले सभी आक्रमणों को खदेड़ दिया । अब हमें आशा करनी चाहिए कि निर्णायक रूप से यह आक्रमण खदेड़ दिया जायेगा और आक्रामक को भविष्य में पुनः आक्रमण करने का साहस नहीं होगा । इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे अन्दर कई प्रकार के मतभेद हैं, परन्तु आक्रमण का मुकाबला करने के लिये सारा देश एक होकर खड़ा होगा, और जो भी कार्य हमें सौंपा जायेगा उसे पूरा किया जायेगा ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)** : प्रत्येक भारतीय के लिय युद्ध उसके चरित्र की परीक्षा है । संभव है कि यह युद्ध लम्बा चले और जैसा कि सभी युद्धों में होता है, हमें इस यद्ध में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़े । हम एक बड़ी सैनिक तानाशाही के विरुद्ध लड़ रहे हैं जिसके हाथ निर्दोश लोगों के खून से रंगे हुए हैं । इसके अतिरिक्त हमें यह भी पता है कि हम अपने देश के लिये ही नहीं लड़ रहे, परन्तु एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति के लिये संघर्ष कर रहे हैं । हम लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता के लिये लड़ रहे हैं ।

**श्री पी० के० देव (कालाहांडी)** : मैं आपात की उदघोषणा का समर्थन करता हूं । पाकिस्तान ने हमारे देश पर जो निन्दनीय आक्रमण किया है और हमारी जनता पर बमबारी की है मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं ।

राष्ट्र प्रधान मंत्री के पीछे है और समय के अनुरूप कार्य करेगा । हमारी पार्टी सरकार को पूर्ण समर्थन का विश्वास दिलाती है । हमारा जनता से अनुरोध है कि देश की स्वतंत्रता तथा राष्ट्र के सम्मान को बनाये रखने के लिये बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार रहे ।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 1949 और 1965 की मूर्खता को नहीं दोहराया जायेगा । हमें किसी भी दबाव में न आकर इस संघर्ष का तर्क संगत हल निकालना चाहिए ।

**श्री समर गुह (कन्टाई)** : आखिरकार पाकिस्तानी तानाशाहों ने हमारे देश को युद्ध की चुनौती दे दी है । आज समचा राष्ट्र इस चुनौती को न केवल स्वीकार ही करेगा अपितु स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र को कीमत, जिसका कि हम सच्चा सम्मान करते हैं, की रक्षा के लिए भी इस चुनौती का सामना करेगा ।

आज प्रधान मंत्री कोई व्यक्ति नहीं है या किसी दल की नेता नहीं हैं; वह तो आज हमारे देश के राष्ट्रीय व्यक्तित्व की एक आग उगलती हुई तलवार हैं । यह सुनिश्चित करने के लिये कि आग उगलती हुई यह तलवार न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में ही सफल हो अपितु पाक तानाशाही के इस क्रूर तंत्र का भी दमन करे । इसके लिये समूचा राष्ट्र हर सम्भव सहयोग करेगा । इस विकट घड़ी में हमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की तरह इत्तफाक इत्तहाद और कुर्बानी की शपथ ग्रहण करनी चाहिए । बंगला देश को मान्यता देने से दुनियां वालों को यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारतवासी आजादी और प्रजातंत्र की रक्षा के लिये सब कुछ कुर्बान करने के लिये तैयार हैं ।

**श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड)** : देश आज इतिहास की विकट घड़ी से होकर गुजर रहा है । मैं इस बात की स्पष्ट घोषणा कर देना चाहता हूं कि इस देश के 8 करोड़ मुसलमान मातृभूमि की रक्षा करने के लिये अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिये तैयार हैं । मैं श्री वाजपेयी की इस बात से सहमत हूं कि आज कोई दलीय मतभेद नहीं है । आज एक ही दल है, एक ही राष्ट्र है और एक ही नेता है, श्रीमती इंदिरा गांधी ।

**Shri S.A. Shamim** (Shrinagar): We are not only fighting for the defence of our country but also for the freedom of Bangla Desh. We are fighting this war with a view to protect the dreams of Mahatma Gandhi, Jawahar Lal Nehru and others. The leaders of Pakistan have claimed the creation of Pakistan purely on religious basis where Hindus cannot live with Muslims. The leaders of this Islamic state have been provoking our religious sentiments in the name of Kuran and God. Our courage and honesty are under test. We have some grievances against the Government, but these grievances stand buried till defeat is inflicted on Pakistan.

Wars are always dangerous. These are fought both at borders and home fronts: Success and victory of India lies in the fact that it is fighting war for the cause of humanity.

Pakistan is laying too much stress on religion and Islam through its radio broadcasts. This is a challenge to muslim population of this country which is prepared to accept it.

**श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर)** : इस एतिहासिक अवसर पर राष्ट्रीय आपतकाल की घोषणा का मैं समर्थन करता हूं ।

यह घड़ी शब्द नहीं बल्कि कार्य की घड़ी है । यह युद्ध भारत की आजादी की रक्षा के ही लिये नहीं बल्कि बंगलादेश की आजादी के लिये भी है । अब समय आ गया है जब हमें बंगला देश को मान्यता

देनी चाहिये । दुनिया को हमें स्पष्ट कर देना चाहिये कि यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच है और इस युद्ध में बंगलादेश की सहायता करना हमारा अधिकार है ।

**डा० कर्णीसिंह (बीकानेर)** : पाकिस्तान ने इस युद्ध को शुरू करके बंगला देश को मान्यता देने के अवसर खोल दिये हैं । इस बात में सन्देह नही कि बंगलादेश को मान्यता मिलने पर पाकिस्तान नष्ट हो जायेगा मेरा सुझाव है कि संकटकाल के दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिये । श्री शमीम तथा अन्य मुस्लिम मित्रों ने सिद्ध कर दिया है कि भारत सही अर्थ में एक धर्म निर्पेक्ष राज्य है ।

**श्री वी० के० कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम)** : व्यक्त विचारों की समानता पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उस देश के लिये भी चुनौती है, जिनके हथियार हमारे विरुद्ध प्रयोग में लाये जा रहे हैं ।

पाकिस्तान के आक्रमण ने कश्मीर की युद्ध विराम रेखा समाप्त कर दी है । संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को अब वहां से वापिस जाने के लिये कहना चाहिये । पाकिस्तान के उच्चायुक्त को भी यहां से वापिस पाकिस्तान भेजना चाहिए । मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र बंगला देश को मान्यता दी जायेगी ।

मैं किसी दल से सम्बन्ध नही रखता । इस मामले में कोई मतभेद नही । हम सब एक हैं । मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि आज हम एक ही नेता के पीछे हैं । जब तक राष्ट्र जिन्दा नहीं रहता उस समय तक न तो कोई समाजवाद होगा और न ही कोई अन्य वाद होगा । राष्ट्र का जिन्दा रहना बहुत अनिवार्य है ।

हमें पाकिस्तान के लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं । हम शांतिप्रिय लोगों का सर्वनाश नहीं करना चाहते । गम्भीर स्थिति में ही हम दुश्मन के सैनिक ठिकानों पर बम गिराते हैं ।

संकट काल की घोषणा कई कानूनी कारणों से अनिवार्य है । इस स्थिति में सब राजनैतिक दलों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिये । मैं राष्ट्रीय सरकार बनाने के बारे में नही कहना चाहता क्योंकि जो सरकार है, वह राष्ट्रीय ही है ।

मैं आशा रखता हूं कि प्रधान मंत्री उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देंगी जो कहते हैं कि संसद को वर्तमान संकटकालीन स्थिति में समाप्त कर देना चाहिये । जब हम एक शक्तिशाली साम्राज्य की बुनियादों को हिला सकते हैं तो उन शक्तिशाली साम्राज्यों की बुनियादों को क्यों नहीं हिला सकते जो हमलावरों को समर्थन देते हैं ।

**श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर)** : तेलंगना प्रजा समिति की ओर से मैं प्रधान मंत्री को आश्वासन देना चाहता हूं कि समूचा राष्ट्र उनके पीछे है । मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि युवा संसद सदस्यों को भी इस संकटकालीन स्थिति में कोई काम सौंपा जाय ताकि वे अग्रिम क्षेत्रों में जा कर सैनिक के बीच विश्वास उत्पन्न कर सकें ।

**श्री वीरेन्द्रसिंह राव (महेन्द्रगढ़)** : संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने पर तथा पाकिस्तान के आक्रमण होने के बाद मुझे भूतपूर्व सैनिक होने का गर्व है । मैं प्रधान मंत्री को आश्वासन देना चाहता हूं कि देश के लाखों भूतपूर्व सैनिक तथा भूतपूर्व अधिकारी आज उनके पीछे हैं । मुझे इस बात में कोई सन्देह नही कि भारत विजयी होगा ।

महोदय, कल रात पाकिस्तान ने आपके जिले पर बमबारी की मैं आपको बधाई देता हूं कि आप ऐसे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां के लोग इतने वीर हैं कि बमबारी के समय भी वे अपने निवास स्थानों को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर नहीं जाना चाहते ।

मैं संकटकालीन स्थिति की घोषणा का समर्थन करता हूं। इस समय मैं अपने नेता को आश्वासन देना चाहता हूं कि युद्धक्षेत्र में लड़ने वाले जवानों की सहायता करने के लिये हम यथासम्भव प्रयत्न करेंगे ।

**श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा)** : मैं उत्कल कांग्रेस और संयुक्त निर्दलीय ग्रुप की ओर से आपात-काल की उद्घोषणा का समर्थन करता हूं और हम तन-मन-धन से देश के संग्राम में योगदान देंगे । प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि आपातकाल के नाम पर स्वतंत्र समाज व्यवस्था पर कोई अंकुश नहीं रखा जाना चाहिये ।

मैं श्री कृष्ण मेनन के इस प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं कि संसद का सत्र चलता रहना चाहिय ताकि देश में विश्वास और हिम्मत का वातावरण बना रहे ।

**श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर)** : मैं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के नाते प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री को पूरा समर्थन देने का आश्वासन देता हूं वे 1962 और 1965 की भांति पाकिस्तान के खुले आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 3 दिसम्बर, 1971 को जारी की गई आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

**संकल्प स्वीकृत हुआ ।**

**The Resolution Was Adopted.**

**अध्यक्ष महोदय** : यह संकल्प सर्वसम्मति से पास हुआ है और मुझे इस सभा का अध्यक्ष होने का गर्व प्राप्त है जिसने संकट की इस घड़ी में इतनी एकता और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है । ईश्वर हमारी सहायता करे ।

---

# भारत रक्षा विधेयक
# DEFENCE OF INDIA BILL

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करती हूं "कि लोक सुरक्षा और हित, भारत की रक्षा और सिविल रक्षा और कतिपय अपराधों पर मुकदमा चलाने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक सुरक्षा और हित, भारत की रक्षा और सिविल रक्षा और कतिपय अपराधों पर मुकदमा चलाने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

THE MOTION WAS ADOPTED

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि लोक सुरक्षा और हित, भारत की रक्षा और सिविल रक्षा और कतिपय अपराधों पर मुकदमा चलाने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक आपातकाल की उद्घोषणा को विधिक मान्यता प्रदान करना है । हम ने नागरिक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया है परन्तु देश को मिलकर प्रतिरक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने होंगे और सभी प्रकार का बलिदान करना होगा ।

इस विधेयक के उपबन्ध पिछले विधेयक जैसे ही हैं परन्तु इसमें पिछले अनुभव और न्यायिक निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए हैं । हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित विधियों से भी पूरा लाभ उठाया गया है । आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने संबंधी अधिनियम का उपयोग भी कुछ परिवर्तनों के साथ किया गया है । रक्षा प्रयत्नों विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के लिये ज़िला मजिस्ट्रेटों और अन्य विशिष्ट अधिकारियों को दोषी व्यक्तियों को नज़रबन्ध करने के अधिकार दे दिए गए हैं और इसकी अवधि बढ़ा कर दो वर्ष कर दी गई है ये उपबन्ध तभी तक लागू रहेंगे जब तक अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा लागू रहती है ।

जहां तक अन्य विधियों में परिवर्तन करने का संबंध है, हमारा उद्देश्य केवल उन अपराधों के लिए दण्ड को अधिक कठोर बनाना है जो हमारे रक्षा प्रयत्नों में गंभीर बाधा डालेंगे ।

इसके साथ ही मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक सुरक्षा पर और हित, भारत की रक्षा और सिविल रक्षा और कतिपय अपराधों पर मुकदमा चलाने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधयक पर विचार किया जाये ।"

**श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) :** इसके लिए कितना समय रखा गया है ?

**अध्यक्ष महोदय :** लगभग एक घंटा ।

**श्री ए० के० गोपालन :** यह तो काफी नही है । विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और हमने संशोधन की सूचना भी दे रखी है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आज भोजन काल नहीं होगा । प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति में श्री पंत विधेयक के लिए प्रभारी होंगे । आपात की स्थिति के कारण सब औपचारिकताएं शीघ्र ही पूरी करली गई हैं ।

**श्री ए० के० गोपालन :** मेरे विचार में इस विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सरकार को पहले ही सभी अधिकार प्राप्त हैं ।

पिछले भारत रक्षा अधिनियम का प्रयोग इस रीति से किया गया था जिससे जनता का सहयोग प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिली । इसके विपरीत नौकरशाही ने इसका प्रयोग इस प्रकार किया जिससे जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ और सरकार को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई ।

अल्पसंख्यकों के नेताओं के प्रति दिए गए आश्वासनों पर भी कई अल्पसंख्यकों को बन्दी बनाया गया जो सर्वदा अनुचित था। केरल की कुछ महिलाएं अपने पतियों से मिलकर पाकिस्तान से आई थीं परन्तु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बन्दी रखा गया ।

यह विधेयक अधिक कठोर है क्योंकि पहले किसी व्यक्ति को यह लिख कर देने मे कि वह निर्दोष है, छोड़ दिया जाता है, परन्तु इसमें ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। ये उपबन्ध श्रमिकों, अन्य वर्गों और विशेषकर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध प्रयुक्त किए जाएंगे ।

अब मैं विधेयक के कुछ बहुत ही कठोर और पाशविक उपबन्धों का उल्लेख करूंगा। एक उपबन्ध यह है कि किसी समाचारपत्र को बन्द करने की सरकार को शक्ति होगी जो उसकी आलोचना करेगा।

सरकार ने समाचारपत्रों, किताबों और अन्य दस्तावेजों को जप्त करने के साथ साथ बैठकों और सभाओं के गठन पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति भी मांगी है। यदि इन पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो जनता का सहयोग कैसे प्राप्त किया जायेगा ?

पीछे भारत रक्षा नियमों को इस प्रकार लागू किया गया कि लोगों की जबान ही बन्द कर दी गई और सरकार की किसी प्रकार की आलोचना सहन नहीं की गई।

रक्षा निधि में जो ज़ोर-जबर्दस्ती की जाती है उससे भी देश-प्रेम की भावना उत्पन्न होने के स्थान पर मर जाती है ।

आपातकाल की घोषणा के बाद मूल्यों में और वृद्धि होगी। इससे पहले ही मूल्य काफी बढ़े हैं और वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि वह इन्हें रोक नहीं सके।

सरकार ने यह तो कह दिया है कि मजूरी स्थिर कर दी जाएगी परन्तु लाभ पर भी क्या यह प्रतिबन्ध लागू होगा? बड़े बड़े कारखानेदार और एकाधिकारी बच निकले हैं क्योंकि 1950–51 में 50 प्रतिशत के प्रत्यक्ष करों के मुकाबले 1970–71 में यह प्रतिशतता केवल 19 प्रतिशत ही थी जबकि अप्रत्यक्ष कर लगभग दुगने हो गए हैं। जनता का सहयोग और उनको सहायता प्राप्त करने के लिए सरकारी नीति क्या होगी ? इस विधेयक के अनुसार तो लोगों पर भार बढ़ेगा और यह सहयोग एवं सहायता दुर्लभ हो जाएगी। इन्हीं कारणों से हम समझते हैं कि यह विधेयक आवश्यक है और हम इसका विरोध करते हैं।

इस विधेयक द्वारा जनता के लोकतंत्रीय अधिकारों को कम कर दिया गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में लागू सभी दमनकारी कानून वापस ले लिए जाएं ताकि जनता का भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त किया जा सके। इस विधेयक से सरकार को कोई सहायता मिलने वाली नहीं है, इसके विपरीत इसका विपक्ष को दबाने और अल्पसंख्यकों तथा अन्य वर्गों के विरुद्ध प्रयोग किया जायगा।

अत : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर)** : आपातकाल की घोषणा होते ही और यह विधेयक पास होने से पूर्व ही दिल्ली पुलिस ने कोटला के एक सामाजिक कार्यकर्त्ता को कल आधी रात को पकड़ लिया क्योंकि वह पुलिस के आतंक के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं और इसलिए पुलिस की आंख की किरकिरी बने हुए थे। इस घटना का उल्लेख मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें पिछले इसी प्रकार के कानून के काफी कटु अनुभव हैं।

पिछली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में की गई थी परन्तु यह 1968 तक जारी रखी गई यद्यपि 1963–65 में कोई युद्ध अथवा युद्ध की स्थिति नहीं थी और इस बीच प्रशासन, विशेषकर पुलिस ने इसका भरपूर दुरुपयोग किया। हमें अब भी ऐसा नहीं लगता कि इस बार इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि इस बार भी इसका दुरुपयोग हुआ तो यह जनता के मनोबल और एकता के लिए बहुत बुरा होगा और देश को इन्हीं की आवश्यकता सर्वाधिक है।

मुनाफाखोरी, जमाखोरी, चोरबाजारी और मिलावट करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के उपबन्ध हैं परन्तु पीछे इन उपबन्धों का प्रयोग ऐसे समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध बहुत ही कम और निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध खुले आम किया गया।

पिछली बार जनता, विशेषकर अल्पसंख्यकों का बहुत दमन किया गया था, मैं व्यक्तिगत रूप से पश्चिम बंगाल के बारे में तो बता सकता हूं कि वहां हजारों मुसलमानों को अंधाधुंध बन्दी बनाकर रखा गया और उन्हें अपनी सफाई देने का कोई अवसर नहीं दिया गया। झूठी सूचना मिलने पर हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि राष्ट्र विरोधी कार्यों और शत्रु की जासूसी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही न की जाये। इसके विरुद्ध क्या संरक्षण दिए गए हैं ? कुछ नहीं––तो क्या निर्दोषों को पीड़ित करना ऐसे समय में अनिवार्य है ?

आपातकाल में श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ा दिए गए, उनकी छुट्टियां कम कर दी गईं और उनसे चन्दे लिए गए। जब तक युद्ध चलता है तब तक तो ठीक है परन्तु महीनों बाद तक भी यह क्रम चलता रहा––यह अनुचित है और जनता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।

नई धारा 17 क में बिना मुकदमा चलाये दो साल तक नजरबन्द रखने का उपबन्ध है––यह बहुत ही गलत बात है और यह उपबन्ध पहले की अपेक्षा कहीं अधिक कठोर है और निर्दोष व्यक्तियों के प्रति यह घोर अन्याय होगा।

क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने का कष्ट करेंगे कि यह कठोर उपबन्ध चोरबाजारी, मुनाफाखोरी और सट्टाबाजारी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी ढंग से प्रयुक्त किए जाएंगे, क्योंकि देश के सबसे बड़े शत्रु यही लोग हैं। इन शक्तियों का प्रयोग सरकार को उन लोगों के विरुद्ध भी करना होगा जो किसी न किसी बहाने जान-बूझकर अपने कारखाने बन्द कर देते हैं। यदि श्रमिक वर्ग का भरपूर समर्थन प्राप्त करना है तो सरकार को बदले की भावना से जिन श्रमिकों को दण्ड देने के मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव भी दूंगा कि इस बार भारत रक्षा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों के कार्यान्वयन के लिए एक निरीक्षण समिति गठित की जाए जिसमें विभिन्न दलों के गैर-सरकारी प्रतिनिधि हों और इसकी बैठकें समय समय पर हों जब भी किसी सदस्य को कोई शिकायत सुनवाई के लिए प्राप्त हो और इसमें कार्यान्वयन की वास्तविक प्रगति की समीक्षा की जाए––अन्यथा हमें विश्वास में लेने की बात निरर्थक हो जाती है। यह समिति पुलिस और दूसरे सिविल अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए भी आवश्यक है। कोटला मुबारकपुर, दिल्ली के श्री वेद प्रकाश की गिरफ्तारी जैसे अन्य मनमाने मामलों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। हम दो-दो मोर्चों पर लड़ना नहीं चाहते––एक हमारी सेना का और दूसरे भ्रष्ट नौकरशाहों के विरुद्ध।

यह कानून इतना भयंकर नहीं है जितना इसके कार्यान्वयन का तरीका। सरकार को अधिक ठोस और विशिष्ट आश्वासन देना होगा कि इस बार इसका दुरुपयोग नहीं होगा।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gawalior) : This is an extraordinary legislature but the times are also extraordinary. Government shall have to provide safeguards against its abuse and misuse.

I would draw the attention of Government to Sec. 17A (6) wherein curbs have been put on acts prejudicial to maintenance of public order in addition to security of the State. This means we have no right to criticise the Government which is our legitimate right. Government should consider the question of postponement of by-elections keeping in view the threat to our borders. The opposition parties should be taken into confidence in the matter of war--preparations. The Central Citizen Council should seek the co-operation of opposition parties. It is not a party issue. I have learnt that Mayor of Delhi has not been coopted in the Central Citizen Council. It is not proper. Every one should have the sense of participation in the war efforts. Government should control the prices of essential commodities, so that action can be taken against the hoarders and black marketeers. A proper atmosphere should be created before we can appeal to the people not to take the law into their hands. The hon. Minister should give an assurance that the proposed legislature would be used for the welfare of the people. A committee of members of both Houses of Parliament should be set up to watch the enforcement of this legislation.

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : मेरे दल की राय में यह विधेयक बिना चर्चा के पास कर दिया जाना चाहिये। सरकार को यह शक्ति शत्रु के साथ निपटने के लिये दी जा रही है। हमें आशा है कि सरकार स्वयं इस बात का ध्यान रखेगी कि इस शक्ति का दुरुपयोग न किया जाये। इस व्यवस्था का उपयोग केवल उतने समय तक किया जाना चाहिये जब तक ऐसा करना परमावश्यक हो। पिछली बार आपात स्थिति को समाप्त करवाने के लिये अनेक लोगों को आन्दोलन करना पड़ा था। मेरे विचार में एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद भी बनाई जानी चाहिये जो इस व्यवस्था के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के उचित उपयोग पर ध्यान रखे। मंत्रिपरिषद को स्वयं भी मितव्ययता के उदाहरण पेश करने चाहिये जिससे जनता को पता चले कि मंत्रीगण स्वयं भी मितव्ययता का पालन कर रहे हैं।

**डा० कर्णी सिंह** (बीकानेर) : चीन ने वर्ष 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में आपात स्थिति की घोषणा की गई थी परन्तु वह वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय तक चलती रही थी। इस अधिनियम के अधीन सरकार को इतनी व्यापक शक्ति मिल जाती है कि उसका प्रभाव व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता पर पड़ता है। अतः हमें कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे युद्ध के अन्त होने के 2 महीने के बाद आपात स्थिति और भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम समाप्त हो जाये। इस अधिनियम से शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावना बनी रहती है। युद्ध समाप्ति के बाद यह सम्भावना और भी बढ़ जाती है। मेरे विचार में एक संसदीय परामर्शदात्री समिति गठित की जानी चाहिये जो इस शक्ति के दुरुपयोग से होने वाले अन्याय के मामलों को प्रधान मंत्री के ध्यान में लाये जिससे उनके सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज राजस्थान में अभूतपूर्व एकता की भावना पाई जाती है। हम सब आक्रामक का मुकाबला करने के लिये कटिबद्ध हैं। परन्तु इस बार ताशकन्द की तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिये और पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखा देना चाहिये। हमें किसी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिये। आज सरकार को सदन में आश्वासन देना चाहिये कि वह इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

हमें आशा है कि इस संकट की स्थिति में रुस हमारा साथ देगा और भारत रुस-संधि कसौटी पर सही उतरेगी ।

**श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ** (कोजीकोड) : भारत रक्षा अधिनियम आपात स्थिति में आवश्यक है । परन्तु मुझे संदेह है कि इस कानून का कहीं दुरुपयोग न किया जाये । वर्ष 1965 में इस कानून का उपयोग व्यक्तिगत एवं राजनीतिक शत्रुता का बदला लेने के लिये किया गया था । अल्पसंख्यक समुदाय को तो विशेष रूप से परेशान किया गया था । हजारों मुसलमानों को बिना कारण गिरफ्तार कर लिया गया था । हमने तत्कालीन गृह मंत्री श्री नन्दा से कहा था कि यदि मुसलमान और मुस्लिम लीग राष्ट्र के हितों के विरुद्ध कार्यवाही करें तो वे उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं । अल्पसंख्यकों के मन में यह भावना होना देश के हित में नहीं है । इस देश के मुसलमानों की ईमानदारी और वफादारी के सम्बन्ध में संदेह करने का किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है । अतः अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिया जाना चाहिये । इस संकट की स्थिति में देश की अखंडता की रक्षा करने के लिये समस्त देश की जनता की क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये । मैं सरकार से फिर अपील करता हूं कि इस प्रकार के कानून से जनता के किसी भी वर्ग को परेशान न किया जाय । वर्तमान युद्ध के बाद इस कानून को तुरन्त वापिस ले लिया जाना चाहिये ।

**श्री पी० के० देव** (कालाहांडी) : युद्ध समाप्त होने के साथ साथ ही आपात स्थिति भी समाप्त कर दी जानी चाहिये । जब स्थिति सामान्य हो जाये तो आपात स्थिति भी समाप्त कर दी जानी चाहिये और उसके साथ भारत रक्षा अधिनियम भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये । सरकार को इस आशय का आश्वासन देना चाहिये । इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है कि युद्ध कितने समय तक चलता है क्योंकि पाकिस्तान इसको अन्तर्राष्ट्रीय रुप देने का प्रयत्न कर रहा है । यदि किसी बड़े देश ने इसमें हस्तक्षेप किया तो तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है । हम रुस से हथियार प्राप्त कर सकते हैं परन्तु हमें उन्हें युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से चीन और अमरीका भी युद्ध में कूद सकते हैं । हम यह नहीं चाहते । पेकिंग रेडियो अभी से भारत को आक्रामक बता रहा है । यह युद्ध अन्तिम होना चाहिये जिससे भविष्य में इस उप-महाद्वीप में शान्ति स्थापित की जा सके ।

भारत रक्षा अधिनियम के सम्बन्ध में हमारा पहला अनुभव यह रहा है कि इसे दलगत स्वार्थों के लिये उपयोग में लाया जाता है । अतः एक सर्वदलीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करें जिसमें भारत रक्षा अधिनियम का उल्लंघन किये जाने के बारे में शिकायत प्राप्त हो । इस कानून का उपयोग जनता के हित में किया जाना चाहिये ताकि जनता की आवश्यकताओं के अनुसार धन का समान वितरण किया जा सके ।

भारत रक्षा अधिनियम के नाम पर समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता पर कोई अकुंश नहीं लगाया जाना चाहिये । इस देश में तोड़-फोड़ करने वाले तत्व बहुत अधिक हैं । सरकार को उनसे खबरदार रहना चाहिये । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री बदरुद्दुजा को रिहा कर देना चाहिये और देश की रक्षा के लिये उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहिये ।

**श्री सी० टी० दंडपाणि** (धारापुरम) : प्रस्तुत विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है परन्तु विरोधी पक्ष के मन में शंका है कि कहीं शासक दल इस कानूना का दुरुपयोग न करें । जब युद्ध की स्थिति पैदा होती तब दुकानदार उसका अनुचित लाभ उठाते हैं । ऐसे पिछले अवसरों पर सरकार ने कोई कारगर कार्यवाहीं नहीं की थी । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही करे । राज्य, जिला तथा तल्लुका स्तर पर स्थानीय समितियां बनाई जानी चाहिये ।

सेना पर होने वाले खर्च के लिये विशेष निधियों की व्यवस्था की जा सकती है। बड़े बड़े व्यापारियों से धन इकट्ठा किया जाना चाहिये और इन शक्तियों का प्रयोग करके उनका काला धन निकलवाया जाना चाहिये। पिछली बार आपात स्थिति के नाम पर सभी विकास कार्य रोक दिये गये थे।

**[उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

**[MR. DEPUTY SPEAKER** in the **Chair]**

जैसे ही युद्ध समाप्त हो, आपात स्थिति भी समाप्त कर दी जानी चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सब बातों पर विचार करे। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : भारत रक्षा विधेयक पर विचार करते समय मेरा दल यह भी समझता है कि सामान्य स्थिति और संकटकालीन स्थिति दोनों में वस्तुतः बड़ा अन्तर होता है और प्रत्येक स्थिति में राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से आचरण भी भिन्न भिन्न होते हैं। यद्यपि सामान्य स्थिति में लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग अपने अधिकारों के लिये भली प्रकार लड़ना जानते हैं परन्तु जब देश की स्वतंत्रता और अखण्डता के लिये स्वेच्छा से अपने इन अधिकारों को उस अवधि के लिये त्याग भी देते हैं। इसी भावना से मेरा दल इस विधेयक का समर्थन करता है।

इस विधेयक में कई ऐसे विधान हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है परन्तु और अधिक ध्यान से देखने पर यह व्यवस्था भी इस विधेयक में मिलती है जिसके द्वारा देश के रक्षा-प्रयासों में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों की गतिविधियों को रोका जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि यह सभा सरकार को इस विधेयक की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग न करने तथा देश के शत्रुओं के साथ उचित व्यवहार करने को प्रोत्साहित करेगी।

सरकार को चाहिये कि वह देश में समता की भावना पैदा करने के लिये कारगर उपाय करने चाहिये। तभी देश के सभी लोग एक समान भावना से देश के लिये त्याग और बलिदान करने को उद्यत होंगे। देश में जहां समाजवाद लाना अनिवार्य है उतना ही आवश्यक समता की स्थिति पैदा करना है। इस विधेयक के उपबन्धों का उपयोग इस दृष्टि से भी किया जाये जिससे कि मूल्य न बढ़े और मुनाफ़ाखोरों और जमाखोर अनुचित लाभ न उठा सकें।

हाल ही में देश के अनेक इंजीनियरिंग उद्योग बन्द हो गये जिससे न केवल बहुत से लोग बेरोज़गार हो गये बल्कि कलकत्ता और बम्बई स्थित कई इंजीनियरी उद्योग का संबंध देश के रक्षा-उत्पादन से भी था। सरकार इस ओर ध्यान दे और यह सुनिश्चय करे कि ये उद्योग बन्द न हों। कर्मचारियों और श्रमिकों की कठिनाइयों को समझे और उन्हें दूर करे।

मुझे याद है कि 1965 के भारत-पाक संघर्ष के समय महाराष्ट्र में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये सर्वाधिक धन मुनाफ़ाखोरों या बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरफ से नहीं बल्कि सामान्य औद्योगिक श्रमिकों और कृषकों की ओर से प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों में अपना उचित योगदान देने से जी चुराने वाले उद्योगपतियों की उक्त दायित्व-हीन भावना पर अंकुश लगाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सरकार से मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उप-चुनावों को संकटकालीन स्थिति तक स्थगित कर दिया जाना चाहिये।

रक्षा तैयारियों की गति तेज की जानी चाहिये। सेना तथा सरकार के अतिरिक्त सामान्य लोगों का भी इसमें भरपूर योगदान होना चाहिये। अतः इस विधेयक के उपबन्धों का दुरुपयोग न करके इसे देश की सुरक्षा तैयारियों हेतु उपयोग में लाया जाये। जिससे कि शत्रु को हमेशा के लिये निकाल बाहर किया जा सके। साथ ही हमें युद्ध की स्थिति तथा शान्ति की स्थिति के लिये पृथक पृथक राजनैतिक व्यवस्था करनी चाहिये जैसा कि ब्रिटेन में होता है।

**श्री सुरेन्द्र महन्ती** (केन्द्रपाडा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही यह भी अनुरोध करता हूं कि इस संकटकालीन स्थिति के पश्चात् तक जारी न रखा जाये। इस विधेयक द्वारा सरकार को जो विस्तृत शक्तियां प्राप्त हो रहीं हैं उनके उचित अथवा अनुचित उपयोग की बात कहना सर्वथा निरर्थक है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि एक प्रकार की राष्ट्रीय परिषद बनायी जाये जो समय समय भारत रक्षा अधिनियम, 1971 की क्रियान्विति पर विचार करती रहे।

सरकार देश के प्रति गैरवफ़ादार लोगों की गतिविधियों को रोकने के लिये अपनी वर्तमान शक्ति का उपयोग नहीं कर रही है। इस विधेयक के अधीन सरकार को प्राप्त होने वाली शक्तियों का प्रयोग श्रमिक संघों के आदि के विरूद्ध न करके देश-विरोधी तत्वों के दमन के लिये ही किया जाये।

हमने यह संघर्ष केवल अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व की रक्षा करने के लिये ही नहीं बल्कि अपने उन सिद्धान्तों की रक्षा करने के लिये आरंभ किया है जिन्हें हमने सदा से पवित्र माना है। ये सिद्धान्त हैं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, संघ संबंधी स्वतन्त्रता तथा कार्य करने की स्वतन्त्रता। यदि हम इन सिद्धान्तों की रक्षा नहीं कर सके तो फिर अन्य दिशाओं हमारी विजय का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं विशेषकर उनके लिये जो लोकतन्त्र तथा मानवता में विश्वास करते हैं। इस संकट कालीनस्थिति में भी प्रेस की स्वतन्त्रता को, यदि इस स्वतन्त्रता से देश की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचता हो, तो नहीं दबाया जाना चाहिये।

सभा में मत विभाजन को रोकने के उद्देश्य से मैंने कोई संशोधन पेश नहीं किया है परन्तु मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक के उपबन्धों को संकटकालीन स्थिति के बाद तक लागू न रखा जाय।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा देश में संकट की स्थिति की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप पेश किया गया है और मैं विभिन्न दलों के उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इसे अपना समर्थन प्रदान किया है। हमारी ओर से भी इस विधेयक का समर्थन केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हम सरकार में भागीदार हैं बल्कि इसलिए कि इसका उद्देश्य देश की रक्षा करना है, इस संदर्भ में दलगत भावनाओं का कोई महत्व नहीं है।

हमने सदैव देखा है कि जब भी हमारे देश पर कोई संकट आया है तो हमारे देश के इस संसद् के और समूचे राष्ट्र के सभी वर्ग एकजुट होकर उस संकट का मुकाबला करने को तैयार हो गये हैं। सभा में आज की चर्चा से भी यही बात स्पष्ट होती थी।

श्री वाजपेयी जी ने ठीक ही कहा है कि यह किसी दल से संबंधित मामला नहीं है और न ही इस संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाईश है क्योंकि आज सब बातों से परे देश की सुरक्षा का प्रश्न सामने है, इसीलिये आज सारा राष्ट्र एक और हम सारे राष्ट्र के नेता एक हैं और हम सब एक होकर इन खतरे का सामना करेंगे।

पाकिस्तान द्वारा हम पर आक्रमण किये जाने के कारण यह विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। हमने कई महीनों तक काफी सब्र और सहन-शक्ति से काम लिया है—यहां भी और देश के बाहर भी—मगर सहन कर सकने की भी एक सीमा होती है और इस सीमा से बाहर निकलने का अर्थ फिर कमजोरी माना जाता है। अतः अब समय आ गया है जबकि हम दिखा दें कि हमें कोई तानाशाही हमला इतनी आसानी से दबा नहीं सकता।

आज सारा देश एक होकर हमारे उन वीर जवानों के साथ है जो आज सीमा पर शत्रु से लोहा ले रहे हैं। मैंने अनेक सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया है तथा अपने सैनिकों और उन क्षेत्रों के निवासियों का भारी उत्साह देखकर मुझे गर्व अनुभव होता है। मैं और यह सभा सेबरजेटों का विनाश करने वाले अपने वीर पायलाटों और पाकिस्तानी सेना के टैंकों और तोपों को कूड़े की ढेर में परिवर्तित करने वाले अपने वीर सैनिकों को बधाई देता हूं।

भारत की रक्षा की दृष्टि से इस विधेयक का बड़ा महत्व है। हालांकि सभी ओर से इस विधेयक का समर्थन किया गया है तथापि इस संदर्भ में कुछ प्रश्न भी उठाये गये हैं। एक बात तो यह कही गई है कि इस विधेयक की व्यवस्था को संकटकालीन स्थिति के पश्चात् लागू न रखा जाये। हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही हो। इसके पश्चात् इस कानून के दुरुपयोग के बारे में सन्देह व्यक्त किया गया और उदाहरणार्थ बताया गया है कि 1965 के संघर्ष के समय अल्प-संख्यकों की गिरफ्तारियां की गई थी तथा उन पर अविश्वास किया गया था। हम कहना चाहेंगे कि इस मामले में अल्पसंख्यक भी देश के सदस्य हैं और इस प्रकार का सन्देह व्यक्त करना वस्तुतः बड़े खेद का विषय है। हालांकि पिछली बार भी पाकिस्तान ने अपने प्रसारणों, समाचारपत्रों आदि के माध्यम से हमारे देश के मुसलमानों को भड़काने का प्रबल प्रयास किया था तथापि इस समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति देश के प्रति वफ़ादार रहा। इसलिये इस देश के किसी भी नागरिक की वफ़ादारी पर सन्देह व्यक्त करना सर्वथा अनुचित है।

फिर भी यह मानना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश के विरुद्ध जासूसी अथवा तोड़-फोड़ की कार्यवाही करते हैं और ऐसे लोग अधिकांशतया बहुसंख्यकों में से ही मिलते हैं। परन्तु यदि कोई देश के खिलाफ़ जासूसी वगैरह करता है तो फिर किसी समुदाय विशेष की बात नहीं होती ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाती है। अतः इस प्रकार की बातों को किसी समुदाय, जाति आदि के साथ संबंधित करना उचित नहीं है।

यह कहना भी गलत है कि बैंटकों, समाचार-पत्रों अथवा प्रकाशनों पर कोई प्रतिबंध लगा दिया जायेगा। इससे संबंधित उपबन्ध का उद्देश्य इस प्रकार के अधिकार लेना मात्र है क्योंकि इस अधिकार का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सामान्यतः ऐसे अधिकार का प्रयोग करने की नौबत नहीं आती है।

श्री वेद प्रकाश की गिरफ्तारी के कारणों के बारे में मैंने जांच कराई है परन्तु ऐसे मौके पर इस प्रकार की घटनाओं को कोई राजनीतिक रंग देना कदापि उचित नहीं होगा। आप ही कहिये कि यदि ऐसी घड़ी में भी ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं होगी तब फिर कब होगी ? संकट-कालीन स्थिति के दौरान सरकार को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार और शक्तियां लेनी ही होती हैं। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग निश्चय काला बाजार करने वालों, जमाखोरों जैसे समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध ही किया जायेगा। ये कानून राष्ट्रविरोधी गतिविधियां अथवा अनुचित ढंग से मूल्य बढ़ाने वालों आदि को समुचित दण्ड देने के लिये ही उपयोग में लाये जायेंगे।

यह पूछा गया है कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या उपचार किया गया है। संभव है कि किसी एक आध व्यक्तिगत मामलों में शक की स्थिति में इन कानूनों का दुरुपयोग हो जाये मगर ऐसा भी देश की सुरक्षा की नीयत से ही होगा और इन कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिये हमारी संसद एक सर्वोत्तम साधन है। फिर भी यदि किसी माननीय सदस्य को कोई विशिष्ट उदाहरण इस प्रकार के मिलें तो वे तुरन्त मुझे सूचित करें और हम उनकी पूरी जांच करेंगे।

सुझाव दिया गया है कि इस संबंध में कोई पर्यवेक्षक समिति या परिषद का गठन किया जाये। यह एक सामान्य प्रश्न है और मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री स्वयं इस संबंध में विपक्ष के नेताओं से विचार विमर्श करना चाहेंगी अथवा कोई समिति आदि गठित करेंगी। मुझे इस बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि समस्त शक्ति युद्ध प्रयासों तथा देश को तैयार करने में लगाई जाये और सभी लोग सरकार पर पूरा भरोसा रखें। विपक्ष का विश्वास पाकर सरकार का दायित्व और भी बढ़ जाता है और इन सभी बातों को ध्यान में रख कर हर कार्यवाही की जाती है।

सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी प्रश्न श्री वाजपेयी ने पूछा है। निश्चय ही हम सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होने देंगे। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली नागरिक समिति में महापौर को सदस्य नहीं रखा गया है। इस संबंध में मैं फिर कहूंगा कि यह अवसर एकता रखने का है और राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति का नहीं। महापौर दिल्ली की दो संस्थाओं—सर्वोच्च संस्था तथा नागरिक परिषद के सदस्य हैं। फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें कार्यकारी समिति में जान-बूझकर सम्मिलित नहीं किया गया है।

अन्त में मैं आपको याद दिलाऊं कि वर्ष 1965 के संघर्ष के समय ऊपर हाल में श्री अन्नादुरई ने देशभक्ति से भरा एक बड़ा ही स्मरणीय भाषण दिया था। आज हमें उसी भावना को अपने भीतर संजोना है। श्री अन्नादुरई के उन शब्दों को सारा देश हमेशा याद रखेगा।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

'कि लोक सुरक्षा और हित, भारत की रक्षा और सिविल रक्षा और कतिपय अपराधों पर मुकदमा चलाने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**खंड 2 विधेयक के साथ जोड दिया गया।**

**Clause 2 was added to the Bill**

**खंड—3**

**नियम बनाने की शक्ति**

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमन्ड हार्बर) : मैं संशोधन संख्या 2 तथा 3 पेश करता हूं।

**श्री झारखण्डे राय** (घोसी) : मैं संशोधन संख्या 10 पेश करता हूं।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुतत करता हूं।

**डा० रानेन सेन** (बारसाट) : मैं अपने संशोधन संख्या 19 और 20 प्रस्तुत करता हूं।

**Shri Ramavtar Shastri :** Mr. Deputy Speaker, Sir my amendment says that at page 6 line 12 after "products", insert "at prices fixed by the Government." The Government should fix the prices in order to have a proper check on them and enable the

consumers to purchase goods at reasonable prices. We should have the people into confidence and fixation of prices is a must for the purpose. This is also indispensable for prohibiting hoarding, black marketing and high prices.

Secondly, the provision made in the Bill against hoarding and profiteering is not very clear. Therefore we would like that on page 48 after clause 48 another sub clause should be added. This clause would specify prohibiting hoarding, black marketing and high prices and punishing such traders or hoarders who may indulget in such anti-social acts. I am sure that in view of past experience my amendments would be accepted.

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ज्योतिमय बसु ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमन्ड हार्बर) : श्रीमन् मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ 7 से पंक्ति 22 और 23 को निकाल दिया जाये । जिनमें सभाओं, मेलों तथा जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । यह व्यवस्था राजनैतिक विरोधियों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये की गई है । हमारा भूतकालीन अनुभव यही है कि सरकार ने इस अधिकार का दुरुपयोग सत्ताधारी दल के विरुद्ध अन्य राजनैतिक दलों के अधिकारों को सीमित करने के लिये किया है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि विधेयक से इस व्यवस्था को निकाल दिया जाये ।

**डा० रानेन सेन** : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ट 6 पर पंक्ति 2 में कम्यूनिटी (community) शब्द के बाद सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण (and fix a fair price for all essential commodities) जोड़ा जाये । आज का तथा वर्ष 1965 में हुये भारत-पाक युद्ध का यह अनुभव है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में यकायक वृद्धि हो गई । सरकार मुनाफ़ाख़ोरी पर नियंत्रण न रख सकी । आज सामान्य स्थिति में भी कलकत्ता में तथा देश के पूर्वी भाग में शिशु आहार की आवश्यक वस्तुओं की नितांत कमी है । औषधियां उपलब्ध नहीं हैं । जो कुछ उपलब्ध भी हैं तो उनके मूल्य बहुत अधिक हो गये हैं । जब सरकार इतने व्यापक अधिकार अपने हाथ में ले रही है तो इस संदर्भ में केवल नियंत्रण की बात उपयुक्त नहीं है, सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य भी निश्चित करने चाहिये ।

विधेयक के पृष्ठ 7 पंक्ति 4 में जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा चोरबाजारी को रोकने की बात कही गयी है । इसे तभी रोका जा सकता है जब सरकार मालों के भंडार को अपने हाथ में ले ले तथा वस्तुओं के उचित मूल्य निश्चित करके उनके वितरण की व्यवस्था करे । जमा किये गये भंडारों को पकड़ कर सरकार उन्हें अपने हाथ में ले ।

मेरे संशोधन भारतीय प्रतिरक्षा विधेयक के अनुरूप है, अतः सरकार को उन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । जहां तक श्री ज्योतिर्मय बसु के संशोधन का सम्बन्ध है मैं उसका समर्थन करता हूं । इस अधिकार का उपयोग सत्ता विरोधी व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा सकता है ।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : श्री बसु ने समाचार-पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध के विषय में अपना संशोधन दिया है । आज हम एक अजीब परिस्थिति में हैं । हमारे देश में प्रेस को बहुत बड़ी स्वतन्त्रता है और यह तथ्य विश्व विदित है । इस विशेष परिस्थिति में इस पर थोड़ा प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है ।

जहां तक जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने और मूल्य निश्चित करने का संबंध है, धारा 32 में भारत की रक्षा से संबंधित किसी उद्देश्य के लिये वस्तुओं के उत्पादन, भंडार, क्रय-विक्रय, सप्लाई तथा परिवहन के सम्बन्ध में, भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाने, अधिकार का दुरुपयोग करने तथा अन्य दूसरे गलत कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

जहां तक मूल्य निश्चित करने का सम्बन्ध है उसके लिये आवश्यक वस्तुऐं अधिनियम की पहले से ही व्यवस्था उपलब्ध है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अधिकार है। जहां तक जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है उसके लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम की व्यवस्था है और जब आवश्यक होता है इस अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तरपूर्व) : वर्ष 1962 से सरकार ने मूल्य नियंत्रण रखने तथा मुनाफ़ाखोरी रोकने के बारे में बार–बार आश्वासन दिये हैं परन्तु सरकार प्रत्येक बार असफल रही है। इस बार इसे रोकने के लिये एक विशिष्ट सुझाव दिया जा रहा है। खेद का विषय है कि मंत्री महोदय उसे स्वीकार करने में संकोच प्रदर्शित कर रहे हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : इस विधेयक में जमाखोरों, मुनाफ़ाखोरों तथा चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। यदि आप इसे देखेंगे तो आवश्य ही संतुष्ट हो जायेंगे।

मूल्य-वृद्धि के बहुत से कारण हैं। साथ ही यह एक अलग विषय है और इस पर अलग से एवं सामान्य चर्चा हो सकती है।

**खण्ड 3 के सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुऐ**

**All amendments to clause 3 were put and neglatived**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**खंड 3 विधेयक के साथ जोड़ दिया गया**

**Clause 3 was added to the Bill**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**खंड 4 तथा 5 विधेयक में जोड दिये गये**

**Clause 4 and 5 were added to the Bill**

**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड 6

**श्री ए० के० गोपालन** (पालघाट) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री इन्द्र जीत गुप्त** (अलीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री भोगेन्द्र झा** (जयनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 7 तथा 8 प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री आर० वी० बडे** (खारगोन) : मैं अपने संशोधन संख्या 15 तथा 17 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री झारखंडे राय** (घोसी) : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं अपने संशोधन संख्या 4 के अनुसार यह चाहता हूं कि पृष्ठ 10 पर पंक्ति 30 से 39 तक निकाल दी जाये । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो गरीब मजदूरों को परेशान किया जायेगा तथा उन्हें दबाव सहन करना पड़ेगा । उन्हें अपनी इच्छा के विपरीत आवश्यक रूप में कागजातों पर हस्ताक्षर करने तथा चन्दा आदि देने के लिये विवश किया जायेगा । मेरे विचार से विधेयक से यह खंड निकाल दिया जाना चाहिये । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गरीब मजदूरों तथा मजदूर वर्गों पर दबाव डालने तथा बलपूर्वक धन वसूल करने आदि बातों को रोकने के लिये विधेयक से इस खंड को निकाल दिया जायें ।

**Shri R.V. Bade** (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, Sir, my first amendment is that 'by' should replace 'without' in line 13 on page 13. Here I would like to know the meaning of Advisory Board. My second amendment is that or the maintenance of public order' words should be deleted from clause 17 a (1) (b) because I think that 'security of state' includes 'law and order' also. Moreover, the powers being given to District Magistrates and Collectors are likely to be misused by them. Hence, my amendment.

**Shri Jharkhande Rai** (Ghosi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the purpose of my amendment is that nobody should be detained for more than three month in the first instance, because this power is likely to be misused by the officials at the lower level. This I can say from personal experience, when I was going to be arrested in 1962 in U.P. If it is considered necessary to detain somebody for more than 3 months, it should be done so after obtaining the advice of Advisory Board.

**श्री एस० एम० बनर्जी** : श्रीमन्, संशोधन संख्या 14 के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये जो अंशदान काटा जाये वह संबंधित कर्मचारी द्वारा लिखित स्वीकृति दिये जाने पर ही उसके वेतन से काटा जाये, कर्मचारियों के यूनियन के प्रेसीडेंट या सेक्रेटरी के कहने पर नहीं । राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान के सम्बन्ध में निश्चय करने का पूर्ण हक कर्मचारी को ही होना चाहिये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा कोष का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए । इस कोष का उपयोग रक्षा-कार्यों के लिये ही किया जाना चाहिये । कोष से संबंधित पूर्ण लेखा होना चाहिये तथा अंशदान देने वाले कर्मचारियों को यह बताया जाना चाहिये कि उनके द्वारा दी गई राशि का उपयोग किस प्रकार से किया गया है । साथ ही मेरा यह सुझाव है कि किसी उद्योग या संस्था के कर्मचारी जितनी राशि रक्षा कोष के लिये दें, उतनी ही राशि उनके मालिक द्वारा भी रक्षा कोष में जमा की जानी चाहिये ।

**Shri Bhogendra Jha** : Sir, it is proper to put some limitations on freedoms obtaining in a democratic set up during Emergency period. Such a measure had been enforced in 1962 and 1965 also. But this time that measure is being amended. The amendments proposed will prove dangerous to democracy. One of the provisions of his Bill is that anybody can be detained even without obtaining the advice of the Advisory Board for "longer than three months, but not exceeding two years from the date of his detention." I suggest that nobody should be detained for more than 3 months without the advice of the Advisory Board. As regards amendment No. 8 it opposes the new provision

being added to this clause. The period of 30 days is being extended to a period of two years. This is not proper. I request the hon. Minister to delete all the new additions to the old legislation as they are dangerous. I request the Minister to accept my amendments.

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : श्रीमान्, सर्वश्री बडे, भोगेन्द्र झा, ज्योतिर्मय बसु और बनर्जी ने इस पर वाद विवाद में भाग लिया । श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री बनर्जी ने अपने संशोधनों में इस बात पर बल दिया है कि केवल कर्मचारी द्वारा ही लिखित स्वीकृति दिये जाने पर उसके वेतन में से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए अंशदान काटा जाय, न कि कर्मचारी संघ के सचिव या प्रेजिडेंट की स्वीकृति पर । माननीय सदस्य कहते हैं कि श्रमिक संघों के सचिव या प्रेजीडैंट इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं । यदि वे ऐसा करते हैं, तो इसका परिणाम भोगेंगे । श्रमिकों का विश्वास उनसे हट जायेगा । हां मैं इस सुझाव से सहमत हूं और यदि यह संभव हुआ तो हम श्रमिक संघों को यह परामर्श देंगे कि वे इस आशय का संकल्प अपने संघ की आम बैठक में करायें । इसके दुरुपयोग को रोकने के अन्य उपायों पर भी हम विचार करेंगे । जहां तक आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने या विधि व्यवस्था बनाये रखने का प्रश्न है, इस संबंध में मैं पहले ही बता चुका हूं । जहां तक सलाहकार समीति की सलाह से नजरबन्दी की अवधि दो वर्ष करने का सुझाव है मैं इस संबंध में विस्तार से जांच करूंगा और तभी इस बात पर कोई निर्णय करुंगा । यदि आवश्यक हुआ तो इसके लिए मैं संशोधन पेश करूंगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4, 5, 14, 15, 16 और 17 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।**

**The amendment Nos. 4, 5, 14, 15, 16 and 17 were put and negatived.**

**श्री भोगेन्द्र झा** : मैं चाहता हूं कि संशोधन संख्या 7 और 8 पर सभा में मतदान हो ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैं माननीय सदस्यों की भावना को समझता हूं और यह भी मानता हूं कि उनका डर भी कुछ हद तक सही है । किन्तु देश के सामने अब खतरा है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगा कि वह उनके संशोधनों पर मत-विभाजन की मांग न करें । मझे पूर्ण आशा है कि तीन महीने से पूर्व ही हमारी जीत हो जायेगी और फिर इसकी आवश्यकता ही न रहेगी ।

**श्री भोगेन्द्र झा** : संशोधन मतदान के लिए रखे जायें ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 और 8 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।**

**The amendment Nos. 7 and 8 were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The mothion was adopted**

**खंड 6 विधेयक में जोड दिया गया**

**Clause 6 was added to the Bill.**

**खंड 7 से 40 तक विधेयक में जोड दिये गये**

**Clauses 7 to 40 were added to the Bill**

**खंड 1**

**श्री भोगेन्द्र झा :** मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री झारखंडे राय :** मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री रामावतार शास्त्री :** मैं संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं ।

**Shri Bhogendra Jha :** Mr. Deputy Speaker, Sir, I have moved amendment No. 6 to clause 1(3). It is provided in this clause that this Bill will come into force soon and it will remain in force during emergency and for a period of six months thereafter. As far as the application of this provision during emergency is concerned, I have no objection. But I do not want that it should remain in force after emergency is over. So, I suggest that the words 'and for a period of 6 months thereafter' should be deleted.

**Shri Ramavatar Shastri (Patna) :** It has been stated in clause 1(3) of the Bill that it will be enforced immediately. It will remain in operation during the emergency and even six months after that. I think there is no need of keeping it in force after the emergency is over. I, therefore, request that the words "and for a period of six months thereafter" should be removed.

**Shri Jharkhande Rai (Ghosi) :** In my amendment I have suggested that period of six months may be reduced to three months. I, therefore, suggest that the words 'and for a period of six months thereafter' should be replaced by words 'not more than three months'.

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** यदि श्री झारखंडे के संशोधन सांविधिक उपबन्ध से संबंधित नहीं होते तो मैं उन्हें स्वीकार करने पर अवश्य विचार करता । आपात स्थिति के दौरान केन्द्रीय सरकार राज्य सूची में दर्ज विषयों पर कानून बना सकती है । संविधान में ही छः महीने की व्यवस्था है । आपातकालीन स्थिति के बाद कुछ अधिनियमों को स्थायी रूप देने के लिए समय की आवश्यकता होती है ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

**All the amendments were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 1 was added to the Bill.**

**अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**श्री ए० के० गोपालन** (पालघाट) : माननीय मंत्री ने हमारे संशोधनों को स्वीकार नहीं किया है और इसका अर्थ यह है कि शक्ति का दुरुपयोग होगा । स्वयं मेरे विरुद्ध शक्ति का दुरुपयोग किया गया था और चार वर्ष तक मुझे नजरबंद रखा गया था । परन्तु बाहर आने के तुरन्त बाद मुझे पुनः पकड़ लिया गया था । अतः इस बार भी इस के दुरुपयोग किये जाने की शंका है ।

अल्पसंख्यकों के बारे में भी वचन दिया गया है परन्तु कार्य तो नौकरशाही के अधिकारी करते हैं । अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भी इन शक्तियों के दुरुपयोग किये जाने की शंका है । आपातकाल के दौरान लोगों को मूल अधिकारों का बिल्कुल भी प्रयोग करने नहीं दिया जाता ।

विधि और व्यवस्था बनाये रखने की शब्दावली बहुत व्यापक है । इसके अन्तर्गत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है । सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि जमाखोरी तथा चोर-बाजारी करने वालों को दंड दिया जायेगा ।

मैं इस विधेयक का इस कारण विरोध करता हूं कि मुझे शंका है कि शक्तियों का दुरुपयोग किया जायगा । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

**श्री पीलू मोदी** (गोधरा) : शत्रु को देश से दूर रखने के लिए हम सभी ने सर्वसम्मति से प्रधान मंत्री का समर्थन करने का निर्णय किया है । संशोधनों में उठाई गई कुछ बातें पूर्णतया उचित हैं । यह विधेवक हमारे जीवन में प्रथम बार हमारे समक्ष नहीं आया है । अतः हमने देखा है कि शक्तियों का दुरुपयोग होता है और अन्याय होता है । हमने गृह मंत्री को आश्वासन दिया था कि देश की एकता को बनाये रखने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होगी वे सरकार को दी जायेंगी परन्तु आवश्यकता से अधिक शक्तियों की मांग उन्हें नहीं करनी चाहिए । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री आश्वासन देने से अधिक कुछ कार्य करें ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह बडे खेद की बात है कि इस अवसर पर भी सरकार ने इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया है । आज सभा में जिस प्रकार की एकता देखने में आई है उसका सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए था । परन्तु श्री पन्त की बातों से एसा लगता है कि वर्तमान स्थिति में भी सरकार छोटे-छोटे राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इनका प्रयोग करना चाहती है । जैसा श्री गोपालन ने कहा, हमने अनेक बार देखा है कि आश्वासन दिये जाने के पश्चात् भी उनको पूरा नहीं किया जाता ।

1962 और 1965 में सरकार ने मूल्यों को बढ़ने से रोकने का आश्वासन दिया था परन्तु वह उनको पूरा नहीं कर सकी थी । परन्तु आज जबकि इस बारे में एक ठोस सुझाव दिया है तो सरकार ने उसको स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है । सरकार द्वारा विधि और व्यवस्था के शब्दों का प्रयोग किये जाने से कुछ शंका उत्पन्न होती है । 1962 में हमारे दल ने भारत के प्रतिरक्षा विधेयक का पूरा समर्थन किया था, परन्तु हमारे दल के महामंत्री श्री नम्बूदिरीपाद को गिरफ्तार कर लिया गया था । ऐसे अनेक मामले हुए हैं ।

मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के बारे में सरकार और अधिक ठोस आश्वासन दे । हमें याद है कि 1947-48 में प्रथम महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान को दिया गया था ।

हम इस विधेयक का विरोध करने नहीं जा रहे क्योंकि हमें संकट का इकट्ठे होकर सामना करना है और शीघ्र से शीघ्र विजय प्राप्त करनी है ।

मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता और मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ संशोधनों को स्वीकार कर ले ।

**श्री वी० के० कृष्ण मेनन** (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं चार बातें कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि यह सोचना गल्ती होगी कि इस अधिनियम से मूल अधिकार समाप्त हो जायेंगे । इससे मूल अधिकारों से वंचित किये जाने पर कोई उपाय नहीं रह जायेगा । लोग प्राकृतिक न्याय के लिए न्यायालयों में जा सकेंगे और लोगों को ऊपर लगे आरोपों का खन्डन करने के लिए यथासम्भव शीघ्र अवसर दिया जायेगा ।

दूसरे किसी व्यक्ति पर लगाये जाने वाले आरोप अस्पष्ट नहीं होने चाहिएं । यदि आरोप अस्पष्ट होंगे तो व्यक्ति विशेष को रिहा कर दिया जायेगा । सामान्य दण्डनीय कानूनों के अन्तर्गत आने वाले मामलों को भी भारतीय रक्षा नियमों के अन्तर्गत नहीं लाया जायेगा ।

तीसरे जब सलाहकार समिति किसी व्यक्ति को आरोपों के बारे में बताती है तो उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए ।

चौथे यदि कोई कानून किसी प्रयोजन विशेष के लिए बनाया जाता है तो उसका प्रयोग अन्य प्रयोजनों हेतु नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना संविधान का उल्लंघन है ।

सरकार को पुलिस तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश देने चाहिएं कि इस कानून को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए । यह निर्देश अर्ध-न्यायिक प्रकार के होने चाहिएं ।

सरकार द्वारा दिये जाने वाले आश्वासनों को कानून स्वीकार नहीं करता । अतः इनको लिखित रूप दिया जाना चाहिए ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक की आवश्यकता क्या थी । आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम तथा हिंसात्मक गतिविधियां निवारक अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को पहले ही पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं । समूचा राष्ट्र सरकार का समर्थन कर रहा है । इस के बावजूद सरकार को और अधिक शक्तियों की क्या आवश्यकता है ? श्री बद्दरुदुजा को 1 जून को गिरफ्तार किया गया था परन्तु उनको अभी तक कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है । अतः यह शक्ति का दुरुपयोग है।

1965 में आश्वासन दिये जाने के बावजूद लगभग 9000 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था । अभी मैंने पढ़ा है कि टैन्टों की खरीद के अन्तर्गत पुनर्वास विभाग द्वारा 2 करोड़ रुपये का गलत प्रयोग किया गया ।

सरकार पिछले अनेक वर्षों से जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने में असफल रही है । पिछले तीन वर्षों में मूल्यों में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है । अतः सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने में भी असफल रही है । ऐसा लगता है कि वर्तमान नौकरशाही की व्यवस्था जनता-विरोधी है । हमें शंका है कि इस का प्रयोग समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध किया जायेगा ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से राज्यों में नागरिक परिषदों के उच्चतम अधिकारी गैर-सरकारी व्यक्ति होते हैं किन्तु पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी क्यों नियुक्त किये गये हैं ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** कुछ बातें तृतीय वाचन में भी कही गई हैं जो प्रथम और द्वितीय वाचन में कहीं गई थीं । अतः अब मैं उनका उल्लेख करना उचित नहीं समझता ।

हमारी सीमाओं पर उत्पन्न स्थिति तथा बंगला देश में हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह उपाय कठोर विदित होने पर भी कठोर नहीं है क्योंकि हमें इस विषम स्थिति में देश की रक्षा करनी है तथा कोई भी खतरा मोल नहीं लेना है । यदि माननीय सदस्य इस संदर्भ को ध्यान में रखें तो मेरे विचार से उन्हें भी अपना द्रष्टिकोण बदलना होगा ।

जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है, इस समय भी सामान्यतः वही उपाय किया गया है जो 1962 में किया गया था ।

कुछ मित्रों की धारणा है कि इस उपाय के द्वारा 'आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, लाया जा रहा है । किन्तु यह धारणा गलत है । वह कानून इससे बिल्कुल पृथक है ।

मैं श्री मुकर्जी के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि सरकार भारत की सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक को राजनीतिक उद्देश्यों के कारण लाई है । अल्पसंख्यकों के बारे में, जमाखोरी और चोरबाजारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने आदि के बारे में उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे सहमत हूं । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि नियम बनाते समय सभी उपयुक्त सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा । यदि सम्भव हुआ तो मैं इन में कुछ आवश्यक संशोधन भी करूंगा तथा सभा को उनसे अवगत कराऊंगा । अतः माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेवक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Mothion was adopted.**

---

# जयन्ती शिपिगं कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक

# JAYANTI SHIPPING COMPANY (ACQUISITION OF SHARES) BILL

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सदन में जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक पर आगे विचार किया जायेगा ।

**Shri Jharkhande Rai** (Ghosi) : I support the objective of this Bill. On the eve of mid-term election leaders of the Congress party accepted Nationalisation as a measure to bring socialism in the country. Thereafter, the Government nationalised 14 banks. But I am sorry to observe that Government have taken only two steps so far towards socialism one by nationlising cooking coal mines and another by nationalising 14 banks.

Now, Government have taken a step to nationalise Jayanti Shipping Company. We fully support this measure. But the pace with which Government are proceeding towards socialism is slow and this way they will not be able to remove poverty from the country. People will feel that their Government are not really interested in removing poverty.

**[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]**

**Shri K. N. Tiwary** *in the Chair* :

In view of their accepted policy of nationalisation, Government can not justify their steps as adequate. They will have to create a sense of faith, among various sections of the Society, in the policy and programmes of Government directed towards fulfilment of the new hopes and aspiration aroused by the party in power during the elections. If Government do not fulfil their pledges as early as possible, the people would be disappointed and the morale of our army would also go down. In this context, I would urge upon the Government to nationalize the major industries such as Textile, Sugar, Mines, Jute, etc. There should be no concentration of wealth in a few hands. I also demand that the tremendous wealth in the hands of only 75 big business houses should be in the hands of the common people. With these words, I support the spirit of this Bill.

**Mr. Chairman** : I want to inform the House that the Defence Minister will make a statement at about 5 P.M.

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** (वेतूल) : हम ऐसी स्थिति में इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया है। वैसे सरकार ने यह विधेयक लाकर सराहनीय कार्य किया है ।

जून 1966 में अध्यादेश जारी करके जयन्ती शिपिंग कम्पनी को सरकारी अधिकार में लिया गया था तथा इसका नियंत्रण एक बोर्ड को सौंपा गया था । बोर्ड ने उसके पश्चात् भारतीय नौवहन निगम को इसका कार्य भार संभाल दिया था ।

नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत 5 अक्तूबर, 1970 के प्रतिवेदन से विदित होता है कि इस कम्पनी में पहले कितना घुटाला किया गया था । गैर-सरकारी प्रबंधकों ने इस कम्पनी की सारी पूंजी को बरबाद कर दिया था और जब से इसे सरकारी नियंत्रण में लिया गया है तब से इस कम्पनी में इसकी पूंजी से लगभग तीन गुना लाभ हुआ है । इस कार्य के लिये मैं वर्तमान प्रबंधकों की कार्यकुशलता की सराहना करता हूं । नौवहन कार्य में कोई एकाधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में इस कम्पनी को पुनर्जीवित करना निस्संदेह प्रशंसनीय कार्य है ।

सरकारी नियंत्रण में लाये जाने से पूर्व इस कम्पनी के प्रबंधकों ने लोगों से भारी धनराशि जमा की थी जिस पर रिजर्व बैंक का कोई आधिपत्य नहीं होता । धोखेबाज प्रबंधकों ने संभवतः यह राशि सट्टे के विचार से जमा की थी । बाद में जनता द्वारा जमा की गई वह राशि संभवतः नष्ट हो गई होगी । क्योंकि निर्धारित समय के लिए जमा की गई राशि की अवधि समाप्त होने पर उनको उनका पैसा वापस नहीं दिय गया। इस प्रकार के कार्यों से कपम्नी एकदम दीवालिया हो गई थी ।

इस संबंध में लोग पंडित जवाहर लाल नेहरू की आलोचना करते थे तथा कहते थे कि वह धर्मतेजा का पक्ष लेते हैं । यदि किसी कम्पनी का प्रबन्ध कुछ ग़लत व्यक्तियों के हाथ में आ जाये तो निश्चय ही उसमें लाभ नहीं हो सकता । किन्तु आज जब उसी कम्पनी का कार्यभार अच्छे आदमियों के हाथ में आया है तो उसमें लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है ।

इस कम्पनी को अधिकार में लिये जाने के बाद पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज लाये गये, दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया तथा ग्राहकों में विश्वास पैदा किया गया । इसके साथ-साथ कम्पनी के व्यापार में वृद्धि होती गई । दोषी व्यक्तियों पर दिल्ली, बम्बई और न्यूयार्क के न्यायालयों में मुकदमा चलाया गया ।

यदि इस कम्पनी का गत पांच वर्षों का कार्य देखा जाये तो ज्ञात होगा कि हमने अद्भुत प्रगति की है । पहले वर्ष में कम्पनी को 2.05 करोड़ का अवश्य घाटा हुआ किन्तु उसके पश्चात् इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में पर्याप्त लाभ हुआ जिसका श्रेय वर्तमान प्रबंधकों को मिलना चाहिए । वर्ष 1966-67 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इस कम्पनी में कुल 0.54 करोड़ रुपये का लाभ हुआ तथा अगले वर्ष 2.18 करोड़ रुपयों का लाभ हुआ । इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस कम्पनी ने पिछले चार वर्षों में अद्भुत प्रगति की है ।

श्री पीलू मोदी यदि यहां उपस्थित होते तो उन्हें ज्ञात होता कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितनी प्रगति हो रही है क्योंकि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की बहुत आलोचना किया करते हैं । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि 2.88 करोड़ रुपयों की पूंजी पर 4.55 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है । इस राशि को कम्पनी के शेयर होल्डरों में बांटा जायेगा तथा श्री धर्मतेजा को मुआवजा दिया जायेगा । श्री तेजा के नाम कम्पनी की कुछ राशि है तथा आय-कर विभाग की भी कुछ राशि है । अतः मुआवजे की यह राशि बाद में सरकार को मिल जायेगी ।

मैं श्री राजबहादुर को यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जहाजों के बारे में समय पर भुगतान न करने के कारण जो व्याज देना पड़ा है उसको भी श्री धर्म तेजा से लिया जाय। इसी प्रकार आय-कर का भी पूरा ध्यान रखा जाये ।

**संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : जयंती शिपिंग कम्पनी के कार्य को अपने अधिकार में लिये जाने के बाद इसमें जो अदभुत प्रगति हुई है उसके लिये मैं भी उसके प्रबंधकों को बधाई देता हूं तथा श्री साल्वे तथा अन्य सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं ।

श्री वीरेन दत्त और श्री चित्रि बाबू ने कहा है कि विधेयक में कम्पनी के कर्मचारीयों के बारे में कोई उपबन्ध नहीं किया गया । सरकारी अधिकार में आने से पूर्व इस कम्पनी के कार्य-करण का बहुत बरा हाल था तथा कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था । कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों में भारी असंतोष था ।

नौवहन निगम ने कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के पश्चात कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात-चीत की तथा उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनकी सेवाएं स्थाई रहेंगी । अक्तूबर, 1966 से निगम ने कम वेतन वाले कर्मचारियों को 45 रुपया प्रतिमाह की दर से अंतरिम राहत प्रदान की तथा दिसम्बर, 1966 से उनके लिये नौवहन के वेतन-मान तथा सेवा की शर्तें लागू की । शोर आफीसरों को जुलाई 1967 से नौवहन के अधिकारियों के समान वेतन दिया गया । कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ पर श्री साल्वे ने काफी प्रकाश डाला है, अतः इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

मुझे यहां रहते हुए गर्व होता है कि स्वयं मैंने इस कम्पनी के बनाये जाने में पर्याप्त प्रयत्न किया था तथा मैं चाहता था कि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र में भी शिपिंग कम्पनी बने । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जब जंयती शिपिंग कम्पनी के बारे में शिकायतें प्राप्त होने लगी

तो मैंने ही जांच किये जाने का आदेश दिया था । श्री सुखतंकर के नेतृत्व में एक जांच समिति नियुक्त की गई । मैं उस समय भी इस मंत्रालय से सम्बद्ध हूं जब इस कम्पनी को अपने अधिकार में लिया जा रहा है। 1960-61 तक हमने 8.58 लाख जी० आर० टी० का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था जिसका तात्पर्य यह है कि हमारा कुल व्यापार का 91 प्रतिशत विदेशी जहाजों के द्वारा होता था। इससे विदेशी मुद्रा की बहुत हानि होती थी उस समय हम खाद्यान्नों का आयात कर रहे थे जिसको आयात करने पर 80 करोड़ रुपये व्यय हो रहे थे । इसका कारण यह था कि हमारे पास बड़े जहाज अथवा टैंकर नहीं थे। हमने जहाज कंपनियों को अपने बेड़े बढ़ाने का अनुरोध किया था परन्तु इसमें कोई सफलता नहीं मिली ।

इस स्थिति में यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ । जयंती शिपिंग कंपनी के इस क्षेत्र में आने से पूर्व जहाजों की प्राप्ति के लिए जहाज कंपनी को पूरा ऋण देना पड़ता था । जयंती शिपिंग कम्पनी द्वारा किए गए इस प्रस्ताव के अंतर्गत हमें कुल धनराशि का 10 प्रतिशत देना था और शेष 90 प्रतिशत की गारंटी जहाजरानी विकास निधि सामित की ओर से थी और इसका भुगतान जहाज देने के बाद किया जाना था और उसकी अवधि 7 वर्ष की थी । इस व्यवस्था को स्वीकार करने से पूर्व हमने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया था । हमने यह सुनिश्चित कर लिया था कि सभी जहाज हमारी आवश्यकताओं के अनुरुप बनाए जायंगे, इस हेतु तकनीकी और टैक्नोलोजीकल विनिर्देश निर्धारित किए गए थे। जहाजरानी विकास निधि समिति ने सभी जहाजों को प्राप्ति के उपरान्त बंधक के रूप में रखना था ताकि नियमों का पालन न करने से वह उन्हें अपने अधिकार में ले लें । जहाजरानी विकास निधि समिति ने पोत प्रांगणों को स्वयं भुगतान करने का कार्य-भार लिया ताकि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न किया जा सके। इस प्रकार हमने सभी प्रकार के पूर्वोपाय किये। यदि उनमें धैर्य होता तो आज वे देश के सबसे बड़े जहाज मालिकों में से होते । चूंकि ये मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, अतएव मैं इन पर अधिक नहीं कहूंगा । परन्तु इतना कहना चाहूंगा कि प्रबन्ध व्यवस्था आदि में गड़बड़ी होने के कारण इसको अपने आधिकार में ले लेने के सिवाय और कोई चारा न था ।

आज मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय जहाजरानी को, विशेषकर सरकारी क्षेत्र में, लाभ हो रहा है। हमारी कुल राष्ट्रीय जहाजरानी का लगभग दस प्रतिशत राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में है जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है ; इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश को इससे लाभ हुआ है।

जहां तक क्षतिपूर्ति की बात है, हमारी स्थिति संतोषजनक है। डा० तेजा के विरुद्ध कुल 1.03 करोड़ रुपये की डिगरी है और 1967 से इसमें ब्याज लगाकर यह राशि बढ़कर लगभग 1.40 करोड़ हो गई है । इसके अतिरिक्त, कुलकुंडिस और डा० तेजा के विरुद्ध दीवानी मुकदमा है । दावों की राशि 2.86 करोड़ रुपये बैठती है । डा० तेजा और कुलकुंडिस को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा पहले ही कुर्क की जा चुकी है । मुझे विश्वास है कि डा० तेजा उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त करों का भुगतान करने के उपरान्त गड़बड़ घोटाला करने का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

माननीय सदस्य श्री झारखंड राय ने कहा है कि समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने की गति बड़ी धीमी है । मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यह सही नहीं है और हमने अभी अपने समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण कार्यवाही की है । सरकार के सत्तारूढ़

होने के उपरान्त बंगला देश तथा वहां से आने वाले शरणार्थियों की समस्या सामने आई और अब यह कहानी पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने पर आकर समाप्त हुई है।

मैं अन्त में जयंती शिपिंग कंपनी के कर्मचारियों और जहाजरानी आयोग के प्रबंधकों का अभिनन्दन करता हूं जिनके कारण हम यह कार्य कर सके हैं।

**सभापति महोदय** : प्रश्न है

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की और अच्छी प्रकार से पूर्ति करने के लिए तथा जन सामान्य के हित में राष्ट्रीय पोत परिवहन की उन्नति और विकास में सहायक होने के उद्देश्य से जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का अर्जन करने तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The motion was adopted.**

**सभापति महोदय** : चूंकि कोई संशोधन नहीं है अतएव मैं सभी खंडों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा । प्रश्न यह है

"कि खंड 2 से 18, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The motion was adopted.**

**खंड 2 से 18, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**
**Clause 2 to 18, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री राज बहादुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**सभापति महोदय** : प्रश्न है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The motion was adopted.**

# गुजरात राज्य के संबंध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

# STATUTORY RESOLUTION *RE* PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF GUJARAT

**सभापति महोदय:** : अब सभा मद संख्या 5 पर चर्चा करेगी ।

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गुजरात के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 13 मई, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा को 21 दिसम्बर, 1971 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

गुजरात राज्य के संबंध में उद्घोषणा 13 मई, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई थी। राज्य सभा और लोक-सभा ने उसे क्रमशः 31 मई, 1971 और 21 जून, 1971 को उसका अनुमोदन किया था। यह उद्घोषणा 20 दिसम्बर, 1971 तक है। जैसे कि सभा को ज्ञात है, निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की है कि निर्वाचन फरवरी के तीसरे सप्ताह में होंगे, यदि वर्तमान आपात की स्थिति जारी रहेगी तो इस विषय पर पुनर्विचार किया जायेगा।

इसलिए मैंने उद्घोषणा को 20 दिसम्बर, 1971 से आगे लागू रखने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि सभा इसका अनुमोदन करेगी।

**सभापति महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 13 मई, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा को 21 दिसम्बर, 1971 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

**श्री के० एस० चावड़ा** (पाटन): राष्ट्रपति के शासन काल के दौरान गुजरात में कांग्रेसियों की स्थिति मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। इसका एक उदाहरण प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा धरोई में शिलान्यास रखा जाना था। इसमें अहमदाबाद नगर निगम के महापौर की उपेक्षा की गई थी। यह सब वहां राष्ट्रपति का शासन लागू होने के कारण हुआ है। एक दूसरा उदाहरण मेहसाना जिले के कुछ गांवों को गांधी नगर जिले में अन्तरित करने का प्रयास है जिससे सत्तारूढ़ कांग्रेस मेहसाना जिला पंचायत में बहुमत प्राप्त कर सके। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा न होने देने के लिए आश्वासन दे।

**श्री राम सहाय पांडे** (राजनंद गांव): क्योंकि वे बड़े डील-डौल वाले व्यक्ति हैं, अतएव हेलीकॉप्टर में केवल दो व्यक्तियों के लिए स्थान होने के कारण उन्हें साथ नहीं बिठाया गया था।

**श्री के० एस० चावड़ा** : सत्तारूढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष को वहां बैठने की अनुमति क्यों दी गई थी जबकि अहमदाबाद नगर निगम, जिसने इस परियोजना का एक तिहाई कम वहन करना है, के महापौर को वहां बैठने तथा समारोह में बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी ?

इस आपात की स्थिति में मैं ऐसे विषय पर अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सम्पूर्ण गुजरात राज्य इस आपात की स्थिति में सरकार के साथ रहेगा।

**Shri Phool Chand Verma** (Ujjain) : When the President's rule was imposed on Gujarat, it was declared that its period would be Six months. We thought that the elections would be held in February but the situation has taken a turn now. Under the changed circumstances, the Resolution for the extension of President's rule has been brought here. We do not want to oppose it but there are some points which we want to convey to the Government. During war we have to observe some norms and adhere to certain social values. At the time of extension of President's rule in Gujarat, the Government should see that there should not be any increase in prices. If it happens

then we are not strengthening the hands of Jawans fighting on the fronts. The Government should see that the morale of the people of Gujarat remain high and all industries function normally.

Today the social institutions are busy in telling the people of Delhi as to how to observe rules at the time of emergency. Of course there are differences between us and the Government, but nothing should be said at this time of emergency. The people of Gujarat are prepared to sacrifice for their country. The co-operation of Social institutions is imperative to curb unsocial elements.

With these words, I fully endorse the Resolution. It is my submission that industries in Gujarat should function normally and the morale of the people should be kept high.

**Shri Sarjoo Pandey** (Ghajipur) : Generally we do not like President's rule in any part of the country but due to the present extraordinary circumstances, we support this Resolution. It is our submission that the Governor of that state has curbed every freedom. People are sending their representations to the Government to the effect that they are being harassed by the Police and the Government. So I urge the Hon. Home Minister to remove him from the office. Such partisan attitude of the Governor will create many difficulties.

No meeting of the Consultative Committee for that state has taken place. The Government should take them into confidence. With these words, I support the Resolution.

**डा० जीवराज मेहता** (अमरेली): माननीय सदस्य श्री चावड़ा ने यह आलोचना की है कि अहमदाबाद के महापौर को प्रधान मंत्री के साथ हेलीकोप्टर में नहीं बैठने दिया गया था। मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री का कार्यक्रम पहले ही निर्धारित कर दिया गया था और यदि महापौर पहले यह बात कहते तो उन्हें अवश्य ही प्रधान मंत्री के साथ हेलीकोप्टर में बिठाया जाता ।

मेहसाना जिले के कतिपय गांवों को गांधी नगर में मिलाये जाने के बारे में मेरा यह कहना है कि जब जिले का गठन किया गया था तो मेहसाना के इन गांवों को गांधी नगर में मिलाया जाना था। वस्तुतः यह कार्य तो पहले से किए गए नियम के अनुरूप है ।

इसके साथ ही मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

**श्री राम सहाय पांडे** : गुजरात में राष्ट्रपति के शासन की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में मेरा निवेदन है कि मितव्ययिता बरतने के कार्य को प्राथमिकता दी जाये।

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**[Mr. Speaker in the Chair]**

मितव्ययिता राज्यपाल से संबंधित सभी कार्यों में बरती जाये, इससे धन की बचत होगी। यह नियम सभी राज्यपालों पर लागू होना चाहिए । उन्हें इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, मुझे इस संबंध में यही कहना है ।

**श्री एफ० एच० मोहसिन** : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने सर्वसम्मति से इस संकल्प का समर्थन किया है । उन्होंने कई उपयोगी सुझाव भी दिये हैं। कांग्रेस (संगठन) के सदस्य ने जो कुछ कहा था, उसका उत्तर डा० जीवराज मेहता ने दे दिया है ।

कतिपय सुझाव अति महत्वपूर्ण हैं परन्तु वे इस प्रस्ताव से संबंधित नहीं हैं । यह आवश्यक है कि मितव्ययिता बरती जाये और मूल्यों में वृद्धि न हो । मेरे विचार में भारत रक्षा अधिनियम इस दिशा में प्रभावी होगा । मैं श्री राम सहाय पांडे को कतिमय उपयोगी सुझाव देने के कारण धन्यवाद देता हूं । न केवल राज्यपालों को अपितु सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए ।

यह तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस आपातकालीन स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र में मितव्ययिता बरतनी चाहिए । सदन को पता होगा कि राष्ट्रपति भवन और राज भवनों के स्तर बनाये रखते हुए अन्य खर्चों में कमी करने के लिए उपाय सोचने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है । यह समिति अगले कुछ महीनों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी । हमने इस दिशा में भी पहल की है और मंत्रियों ने अपने वेतन का 10 प्रतिशत और उपमंत्रियों ने 5 प्रतिशत और बंगला कोष के लिए देना आरम्भ कर दिया है ।

यह कहा गया है कि राज्यपाल को बदलना चाहिए क्योंकि वह पुरानी कांग्रेस की सलाह से कार्य कर रहे हैं । हमें आशा है कि सरकार राज्य के प्रशासन के हितों को दृष्टि में रखते हुए निर्णय लेगी। और दलों के आधार पर भेद-भाव नहीं करना चाहिए। सरकार को वही काम करना चाहिए जो राज्य के हित में उचित हो। यदि राज्यपाल ने कोई ऐसा कार्य लिया हो, जो राज्य के हितों के प्रतिकूल जाए, तो वह ठीक नहीं है।

सलाहकार समितियों के बारे में कुछ कहा गया है। सलाहकार समितियों के बारे में सरकार इनकी कई बार बैठक बुलाना तो चाहती है परन्तु यह सम्भव नहीं हो सका है; क्योंकि प्रधान-मंत्री को गृह मंत्री के नाते इन बैठकों का सभापतित्व करना पड़ता है, और इसके लिए उनके पास समय नहीं मिल पाता। फिर भी हमने कई राज्यों की बैठकें बुलाई हैं। आपको यह पता ही है कि चार राज्यों में राष्ट्रपति का शासन है। फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि सलाहकार समितियों की बैठकें शीघ्रातिशीघ्र बुलाई जायें जिससे उनमें विधार्या उपायों पर विचार किया जा सके। अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को पारित किया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 13 मई, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा को 21 दिसम्बर, 1971 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

**संकल्प स्वीकृत हुआ ।**
**The Resolution was adopted.**

## पंजाब राज्य के संबंध में उदघोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प
## Statutory Resolution *Re.* Proclamation in relation to the state of Punjab

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा पंजाब के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 15 जून, 1971 की उद्घोषणा को 5 फरवरी. 1972 से 6 महीने की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

यह उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 15 जुलाई, 1971 को जारी की गई थी। राज्य सभा ने इसे 22 जून, 1971 को अपनी मंजूरी दे दी थी और लोक सभा ने 5 अगस्त, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा (4) के अनुसार यह उद्घोषणा 4 फरवरी, 1972 तक लागू रहेगी। जैसा कि मैं कह चुका हूं, राज्य में मतदाता-सूचियों में संशोधन करने का कार्य आरम्भ हो चुका है। यह कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाना है, परन्तु 4 फरवरी, 1972 से पहले चनाव कराना सम्भव नहीं है। इसलिए हम सभा से अनुरोध करते हैं कि इस उद्घोषणा की अवधि 5 फरवरी, 1972 से आगे और 6 महीने तक बढ़ा दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा पंजाब के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 15 जून, 1971 की उद्घोषणा को 5 फरवरी, 1972 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।

**Shri Darbara Singh** (Hoshiarpur): Sir, we are passing through emergency. Punjab is a border State and we are heavily engaged in war with Pakistan. You should ask the Governor and other administrative Officers to go to the people and keep their morale high there.

A commission of enquiry was appointed to go into the allegations levelled against the party which was a ruling party till recently in Punjab. But this commission has made those people responsible of the charges who had levelled them. The Commission was appointed only after Government itself was satisfied of the prima facie case and that all the expenditure on it was to be borne by the Government. It was said that the Government should take all the responsibility for gearing up its machinery to ensure that the morale of the people is high.

It is rejoicing that our defence forces have given a good beating to the enemy forces and they are doing very good and praiseworthy job in countering the enemy attack. But it should also be ensured that a regular enforcement and other supplies is being maintained for our troops. And this is the responsibility of civil administration to look after all these things. Therefore, Civil administration should be geared up, particularly during the Presidential rule in the State.

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna): Punjab is a particular target of Pakistani attack. In view of this emergency in the State, it would have been better if there was a popular government in Punjab State. In view of this emergency it is not possible to hold elections in the state and that is why President's rule is being extended for some time more. It is necessary to ensure that people living on the border are fully satisfied and their morale is high. Therefore in order to repulse the Pakistani aggression the Government should ensure that the bureaucrats in the state work with full cooperation with the workers and agriculturists and sovereignty of the country is not in peril.

A few days back the police killed two students, cold blood. This sort of high handedness and atrocites of the police in the state can not be tolerated, and this should not be expected at least in a democratic set up. The Government should investigate the matter at an early date and the persons found responsible for such high handedness should be strongly dealt with.

Peasants and Cultivators of the State should be taken into confidence and land should be distributed among the landless people. The demands of the State Government employees should be accepted immediately because the Government is committed to their demands. Therefore Government should fulfil its commitments in this matter so that the employees feel contended and work with their full zeal at this critical moment in the state.

The allegations made against the Badal Ministry should be thoroughly investigated and the outcome of the enquiry made if any, should be made public. The problem of unemployment in the State is increasing. The Government therefore, should tackle this problem in its true perspective; otherwise it would be useless to extend the President's Rule in the State.

**श्री अमरनाथ विद्यालंकार** (चंडीगढ़) : जैसा अभी मेरे माननीय मित्र श्री दरबारा सिंह जी ने कहा, मैं भी मानता हूं कि पंजाब के निवासी सदा आगे रहे हैं और वर्तमान संग्राम में वे आगे ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे समय में प्रशासन को भी गतिशीलता दिखानी चाहिये और आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए।

हम चाहते हैं कि केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं अपितु जन सामान्य में भी इस संग्राम में आगे बढ़कर भाग लेने की भावना होनी चाहिये। परन्तु कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है उससे हमें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि हम उनमें इस संग्राम में भाग लेने की आशा उत्पन्न कर सकेंगे। पिछले अकाली प्रशासन ने कुप्रबन्ध और अव्यवस्था फैलाई और अपने कर्मचारियों से झगड़ा किया था। जांच की गई थी और कुछ कर्मचारियों को मुअत्तल भी किया गया था। अब आशा है कि इस नये प्रशासन में सभी बाधाएं दूर हो जायेंगी और कर्मचारियों में संग्राम में शामिल होने और मैत्री तथा सहयोग की भावना पैदा की जायेगी। परन्तु यह भावना पैदा नहीं की गई और न ही की जा रही है। अतः वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों, जिनके नेताओं पर मुकद्मा चलाया जा रहा है, में सन्तोष की भावना पैदा की जायेगी। कर्मचारियों की अनेकों शिकायतें हैं। उन्हें हड़ताल की अवधि का वेतन नहीं दिया गया है और उनके संघों को मान्यता भी प्रदान नहीं की गई है। उनकी कोई बड़ी शिकायतें नहीं हैं और उन्हें शीघ्र ही दूर किया जाना चाहिये और कर्मचारियों में सन्तोष और विश्वास की भावना पैदा की जानी चाहिये।

नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ कदम उठाये गये हैं और कुछ परिषदें भी गठित की गई हैं। इन परिषदों में बहुत से लोग अपना योगदान कर सकते हैं परन्तु उन्हें इन परिषदों में नहीं लिया गया है क्योंकि ये परिषदें सुचारू रूप से गठित नहीं की गई हैं। यदि वर्तमान प्रशासन, विशेषकर नौकरशाही, यह काम नहीं कर सकता अथवा वर्तमान परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता तो इसे बदल देना चाहिए। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय इन सब बातों का ध्यान देगा।

**Shri Mohammad Ismail** (Barrackpore): President's Rule is being extended in Punjab. Two or three things are more important prevailing in the state under the President's Rule. First, the behaviour of police with the people in the State is onot only rude but atrocious. There is a news in today's news papers that two persons were arrested. They were kept in police custody and they were not presented before the Magistrate. The High Court has passed strictures against police for this unwanted action and has ordered for release of these two persons. A few days back police killed two students. People are demandin g

a Judicial inquiry into this matter but the administration has not conceded to this demand. This matter should be probed into and some steps should be taken to ensure that police do not harass and terrorise the people in the state.

Secondly, the evacuee land has not been distributed to the landless peasants and Harijans. A lot of bungling and irregularities are going on in this matter. Some Officials are trying to get this evacuee land in their own names or in the name of their relatives. I want that an All-Party Committee should be set up to see that the evacuee land is distributed to all the cultivators who are tilling the land. Each of these cultivators should be allotted five acres of such land.

Regarding interim relief to the Government employees, some government employees in Chandigarh are getting interim relief at Central Government rates, but the Punjab State Government employees are not being given this relief at Central rates. This matter should be looked into.

In the border areas at various places the cultivators are forced to leave their land. They cannot cultivate that land. Some compensation should be given to those farmers.

There is Akali-agitation in the State. They are demanding that elected representatives should be given an opportunity to form Government in the State. It would be better if there was an Official announcement in this connection. This matter should be inquired so that communal tension in the state is removed.

**Shri Satpal Kapur** (Patiala): Every individual of Punjab is ready to go to the border, and fight the enemy. The people of Punjab are brave and are ready to fight the enemy, but the present bureaucratic administration in Punjab is not representing them properly. The people are not being treated properly and humanty. The behaviour of the police towards the people is very rude and most improper. There is a 'police raj' in the state. They arrest poor cultivators and kill them cold blood. The police killed two students and then explained that they were bad characters. The police should not behave in this manner in our country in the present days. This matter should be enquired into.

The State Government made some promises with their employees. But the bureaucracy and the present administration in Punjab has indulged in actions which are against the interests of its employees and the people. The officers looking after the administration of the state are anti-people. They do not know what Punjab is and what its people are. These present officers should be transferred from there and more imaginative Officers should be posted there. From the strategic point of view Punjab is very important state and its people are brave and fully prepared and ready to defend the borders. The Government should look into all these things and ensure proper administration in the State.

**श्री एफ० एच० मोहसिन** : सदस्यों ने जो सुझाव सदन में दिए हैं वे वास्तव में बहुमूल्य हैं । वर्तमान आपातकालीन स्थिति में पंजाब का बहुत महत्व है और सामरिक दृष्टि से यह राज्य बहुत महत्वपूर्ण है । यह सीमावर्ती राज्य है और इसने पाकिस्तान के आक्रमण का सामना अत्यन्त बहादुरी से किया है ।

ऐसी आपातकालीन स्थिति में कुछ व्यापारी जमाखोरी और काला बाजार में वस्तुएं बेचकर स्थिति का लाभ उठाते हैं । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हमने भारत रक्षा अधिनियम पहले ही पास कर दिया है ।

हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि समय की आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक तंत्र को सुधारा जाय और इस बात का ध्यान रखा जाए कि लोगों की शिकायतें दूर हो गई हैं। यदि वे नौकरशाही रवैया अपनाते हैं तो यह व्यर्थ है। उन्हें अनिवार्यतः जन समुदाय के सम्पर्क में रहना चाहिए और उनकी कठिनाइयों को समझने और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य है कि कुछ अधिकारियों के रवैये के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और इस वर्तमान आपात स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में सरकार का हाथ बंटाना चाहिए।

भूतपूर्व सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है। लगभग 83 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और उनके विरुद्ध मुकदमे दायर कर दिये गये हैं। सब मिलाकर 86 मामले दर्ज किये गये हैं।

आप को यह जानकर खुशी होगी कि इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा एक जांच आयोग स्थापित किया गया है और इसकी जांच हो रही है।

**श्री दरबारा सिंह** (होशियारपुर): क्या सरकार इस मामले को उठायेगी क्योंकि आरम्भिक तौर पर तो यह आरोप साबित हो चुके हैं?

**श्री एफ० एच० मोहसिन** : यह देखना आयोग का काम है कि यह मामले उचित हैं या नहीं। आयोग इस बात पर पूरा ध्यान देगा।

श्री मुहम्मद इस्माइल ने सरकारी कर्मचारियों के प्रशन को भी उठाया है। मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को राहत दी गई है और 1 जुलाई, 1971 से महंगाई भत्ते की दर बढ़ा दी गई है। इससे लगभग 1,60,000 कर्मचारियों को लाभ होगा जिससे कि राजकोष पर 1.41 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रभाव पड़ेगा।

सदस्यों का यह कहना ठीक ही है कि बाढ़ों के कारण पंजाब के लोगों को काफी कष्ट सहने पड़े हैं। बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों के दुखी लोगों को वहां से हटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही राहत देने के निमित्त जिलाधीशों के अधिकार में सामान्य बजट के अतिरिक्त 23.13 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था भी की गई है।

मैं अकालियों से अपील करता हूं कि वर्तमान आपातकालीन स्थिति के सन्दर्भ में उन्हें अपना आन्दोलन वापिस ले लेना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आशा है कि आकाली इनकी सलाह मान लेंगे। प्रश्न यह है:

"कि यह सभा पंजाब के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 15 जून, 1971 की उदघोषणा को 5 फरवरी, 1972 से 6 महीने की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

## पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

## Statutory Resolution *Re.* Proclamation in respect of West Bengal

**गृह मंत्रालय में उपमत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जून, 1971 की उदघोषणा को 26 फरवरी, 1972 से 6 महीने की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन करती है ।"

यह संकल्प भी लगभग पहले जैसे संकल्प की तरह ही है जिसका सम्बन्ध पश्चिम बंगाल से है । इस संकल्प का मंतव्य पश्चिम बंगाल राज्य में उद्घोषणा की अवधि 26 जनवरी, 1972 से 6 महीने और आगे बढ़ाना है । वर्तमान उद्घोषणा 25 जनवरी, 1972 तक लागू रहेगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत किया गया :

"कि यह सभा पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जून, 1971 की उदघोषणा को 26 जनवरी, 1972 से 6 महीने की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन करती है ।"

इस के सम्बन्ध में श्री ज्योतिर्मय बसु का एक संशोधन है । मुझे लगता है कि शायद वह इसे वापिस ले लेंगे ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरम पुर): इस उदघाषणा से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के शासन को 6 महीने और बढ़ाया जा रहा है । आपातकालीन स्थिति की घोषणा काने के बाद देश की सम्पूर्ण स्थिति में परिवर्तन हो गया है । परन्तु फिर भी मैं सरकार से कुछ शिकायतें करना चाहता हूं ।

पश्चिम बंगाल एक समस्या-प्रधान राज्य है । समस्यायें पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा नहीं अपितु अधिकांश तौर पर केन्द्र द्वारा उत्पन्न की गई हैं । केन्द्र ने राजनैतिक, आर्थिक तथा अन्य तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता से भेदभाव-पूर्ण बरताव किया है ।

श्रीमान् जी, हमें यह बात समझ नहीं आती कि पश्चिम बंगाल में बार-बार राष्ट्रपति शासन लागू करने की क्या आवश्यकता है ? केवल सत्तारुढ़ दल के हितों को पूरा करने के लिए ही वहां बार-बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है । वहां विधान सभा है परन्तु उसे कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया । जब से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तब से पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है । वहां 200 से भी अधिक पुलिस कर्मचारी मारे जा चुके हैं । इन में से अधिकांश लोग सब कांस्टेबल तथा साधारण पुलिसमैन ही हैं । हिंसा, कत्ल इत्यादि के मामलों के अतिरिक्त पुलिस, केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस तथा सेना द्वारा कई युवक मारे गये हैं । 60 व्यक्ति जेल के अन्दर ही मारे गये हैं । यदि मुझे कभी अवसर मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पश्चिम बंगाल की जेलों में क्या हो रहा है । वहां पुलिस पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य कर रही है । पुलिस के कार्यकरण से स्पष्ट है कि वह सत्तारूढ़ दल के वेतन प्राप्त स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रही है ।

## सभा के समय के बारे में घोषणा
## Announcement *Re.* Timings of the House

**अध्यक्ष महोदय :** इससे पूर्व कि रक्षा मंत्री अपना वक्तव्य आरम्भ करें, मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि आज 4.30 बजे लोक-सभा के विरोधी दलों के नेताओं के साथ प्रधान मंत्री की जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय किया गया था कि सोमवार' 6 दिसम्बर 1971 से लोक-सभा की बैठक 10 बजे मध्याह्नपूर्ण से लेकर मध्याह्नपश्चात् 1 बजे तक हुआ करेगी जिसमें कि प्रश्नकाल तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा । (व्यवधान) मैं इस सुझाव से पहले ही सहमत हूं और आपको केवल इसकी सूचना ही दी जा रही है

---

## पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण सम्बंधी स्थिति पर वक्तव्य
## Statement on the situation *Re.* Pakistan attack on India

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** पाकिस्तानी वायु सेना ने कल सायं 5.45 से हमारे हवाई अड्डों पर आक्रमण किया है । पाकिस्तानी विमानों ने हमारे 12 हवाई अड्डों—अमृतसर, पठानकोट' श्रीनगर, फरीदकोट, हलवारा, अम्बाला, आगरा, उत्तरलाई, जोधपुर, जामनगर, सरसा और सरसवां पर आक्रमण किया । गोदरा रोड, जम्मू और बाड़मेर के रेलवे जंकशनों पर भी आक्रमण किया गया। हमारी कुछ पट्टियों को थोड़ी सी क्षति पहुंची है किन्तु जमीन पर ठहरे हुए विमानों को कोई क्षति नहीं पहंची है और एक इलाके में प्रतिष्ठान को थोड़ी सी क्षति पहुंची है । हमारे सभी हवाई अड्डे पूर्णरूप से चल रहे हैं । पूर्व-नियोजित आक्रमण द्वारा अत्यधिक क्षति पहुंचाने के लक्ष्य को असफल बना दिया गया है ।

भारतीय वायु सेना ने जबाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण रात्रि को 11.50 पर किया गया । चंदेरी, शेरकोट, सरगोधा, मुरीद, मियांवाली, मसरूर कराची के निकट), रिसालवाला (रावलपिंडो के निकट) और चंगा मंगा (लाहौर के निकट) हवाई अड्डों पर आक्रमण किया गया है । विमान चालक दल ने अपनी पूरी सफलता की सूचना दी है । उन्होंने जमीन पर खड़े हुए कई विमानों को नष्ट किया और पेट्रोल की टंकियों में आग लगाई । सरगोधा हवाई अड्डा नष्ट हो गया है । कच्छ के निकटवर्ती बदीन स्थित राडार स्टेशन को भी क्षति पहुंचाई गई है । तीन विमानों अर्थात् एक हन्टर एक एच० एफ० 24 और एक सुकोई को छोड़ कर हमारे सभी विमान अपने अड्डे पर लौट आये हैं ।

कल शाम छः बजे से पाकिस्तानी सेना पूंछ, छम्बजोरियां, अमृतसर, फाजिल्का और पठानकोट के हमारे ठिकानों पर गोलाबारी कर रही है । जमीन पर पकिस्तानी सेना द्वारा किये जा रहे आक्रमण को सभी क्षेत्रों में धकेल दिया गया है । अजनाला में सीमा सुरक्षा दल के जिन कुछ सैनिकों ने रावी को पार किया था उन्हें पीछे हटना पड़ा है । पाकिस्तान ने भी रावी के उस पार के क्षेत्र से अपनी टुकड़ी वापस बुला ली है । पूंछ में हमने पाकिस्तान की पी० डी० के० बटालियन संख्या 26 के 5 सैनिकों को बंदी बनाया है । छम्बजोरियां में पीछे हटती हुई पाकिस्तानी सेना एक मृत और एक घायल सैनिकों को छोड़ गई । ये दोनों सैनिक पंजाब रेजिमेंट की बटालियन संख्या 43 के हैं।

दिसम्बर, 4 प्रातः हमारी सेना ने टिथवाल के दक्षिणपूर्व में 5 मील दूर एक पाकिस्तानी चौकी पर अधिकार कर लिया है । उरी और हाजीपीर के बीच की पहाड़ी चौकी पर अधिकार कर लिया गया है । हमारी सेना ने 13 और बंदी बनाये हैं जिनमें एक जे० सी० ओ० भी है ।

पाकिस्तानी सेना के साथ जोकि बड़ी संख्या में हैं तथा बख्तरबन्द गाड़ियां और तोपखाने से लैस हैं, अखनूर के 30 मील पश्चिम में घमासान युद्ध हो रहा है । हमने भारी मार की है तथा शत्रु के छः टैंकों को जलता हुआ देखा गया है ।

फिरोजपुर सैक्टर में, पाकिस्तान के एक ब्रिगेड द्वारा जिसे वायु सेना का समर्थन प्राप्त है, तथा जिस में बख्तरबन्द गाड़ियां और तोपखाना भी शामिल है, हुसैनीवाला तथा फिरोजपुर क्षेत्र में हमारी सेना पर हमले किये गये हैं । हमारे सैनिकों ने दुश्मन के सब हमलों को विफल कर दिया है तथा भारी संख्या में शत्रु हताहत हुए हैं । हमारे कुछ सैनिक भी हताहत हुए हैं तथा हमें कुछ पीछे हटना पड़ा है । हुसैनीवाला पुल को कुछ क्षति हुई है ।

भारतीय सेना कई स्थानों पर बंगला देश में घुस गई है तथा मुक्तिवाहनी के सहयोग से कार्य कर रही है । हमारे सैनिकों ने मुक्तिवाहिनी के साथ मिलकर त्रिपुरा तथा कच्छार सैक्टर में हवाई अड्डे सहित शमशेरनगर पर कब्जा कर लिया है । अखूरा के निकट घमासान युद्ध हो रहा है । हमारी सेना ने कोमिला सैक्टर में सूहगांव तथा मजलिसपुर पर कब्जा कर लिया है । ठाकुरगांव, दरसना और गाजीपुर अब हमारे नियंत्रण में हैं । फूलबाड़ी में 26 फ्रंटियर फोजर्स राइफल्ज बटैलियन के 42 सैनिकों को जिन में एक जे० सी० ओ० तथा हवलदार मेजर भी शामिल है, बन्दी बनाया गया है ।

भारतीय वायु सेना द्वारा बंगला देश में उन हवाई अड्डों पर जो पाकिस्तानी वायु सेना के नियंत्रणाधीन हैं, हवाई हमले किये हैं । अब तक 8 पाकिस्तानी सैबर जैट वमानों को, चार को ढाका के निकट तथा 3 को जसौर के निकट मार गिराया गया है । हमारे दो हन्टर नष्ट हुए हैं ।

भारतीय नौसेना के पश्चिमी और पूर्वी बेड़े ने शत्रु युद्ध पोतों को तलाश करने तथा उन्हें नष्ट करने का कार्य आरम्भ कर दिया है । उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान और बंगला देश के बीच संचार व्यवस्था को भंग कर दिया है तथा पश्चिम पाकिस्तानी सेना के समुद्री समर्थन को समाप्त कर दिया गया है । आज प्रातः हमारे एक विध्वंशक द्वारा एक पाकिस्तानी वाणिज्यिक जहाज पर कब्जा कर लिया गया है । नौसेना के एक दस्ते ने उसका संचालन संभाल लिया है तो उसे निकटतम बन्दरगाह पर ले जाने का आदेश दिया गया है ।

पूर्वी बेड़े की यूनिटों द्वारा कोक्स बाजार पर भी हमला किया गया है । इस हमले से हवाई अड्डे के प्रतिष्ठान नष्ट हो गये हैं ।

पाकिस्तानी बंदरगाहों पर जाने वाले माल को रोकने के लिए भारतीय नौसेना ने नाकाबन्दी कर दी है । बंगला देश में पाकिस्तान अधिकृत बन्दरगाहों को घेर लिया गया है ।

---

**इसके पश्चात् लोक-सभा 6 दिसम्बर 1171/15 अग्रहायण 1893 (शक) के दस बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Monday the 6th December, 971/Agrahayana 15, 1893 (Saka).**



MGIPRRND—16 LSS/71 Sec. II (Shift Day)—21-2-72—490